



Veena Memorial PG College

(Affiliated to University of Kota, Kota & Recognized by DCE Rajasthan, NCTE New Delhi)

2.2.1: Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC etc.) as per applicable reservation policy for the first year admission during the last five years

INDEX

S.N.	Name of Document
1.	AISHE Certificates for five years
2.	Admission Policies for five years

Principal
Dr. Laxman Dhaked



Government of India

Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-19469-2022

This is to certify that Mr. Raghu nandan singh of Veena Memorial P.G. College, Karauli has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2022-2023.

R.Rajesh

(Shri R. Rajesh)

Deputy Director General

Dated: 16/03/2024

Jayaram

प्राचय
मीण वैष्णवील पी.जी. कॉलेज



All India Survey on Higher Education
All India Survey on Higher Education

Government of India

Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-19469-2021

This is to certify that Mr. Raghu nandan singh of Veena Memorial P.G. College, Karauli has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2021-2022.

R.Rajesh

(Shri R. Rajesh)

Deputy Director General

Dated: 22/12/2022

Jayne

प्राचार्य
मिशन वैश्विक पी.जी. कॉलेज



Government of India

Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-19469-2020

This is to certify that Mr. Raghu nandan singh of Veena Memorial P.G. College, Karauli has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2020-2021.

R.Rajesh

(Shri R. Rajesh)

Deputy Director General

प्राचार्य
राजा वैमोत्तरल पी.जी. कॉलेज

गोपीनाथपुरा (उज्ज॑)

Dated: 21/02/2022



Government of India

Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-19469-2019

This is to certify that Mr. Raghu nandan singh of Veena Memorial P.G. College, Karauli has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2019-2020.

(Madan Mohan)

Deputy Director General

Dated: 25/01/2020

Name of the signatory

वीणा मेमोरियल पी.जी. कॉलेज
काराली (उत्तराखण्ड)



Government of India

Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-19469-2018

This is to certify that Mr. Raghu nandan singh of Veena Memorial P.G. College, Karauli has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2018-2019.

(Madan Mohan)

Deputy Director General

Dated: 13/12/2018

Name of the signatory

प्रधार्य

वीना मेमोरियल पी.जी. कॉलेज

कालानी (पुराणा)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JI.N Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकादमी / आकाशी / 2023 / 108 दिनांक: 09.06.2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: प्रवेश नीति सत्र 2023–24 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2023–24 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/
बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.06 21:30:37 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No.: 3968123



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार प्रवेश नीति 2023–24

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 15:13:07 IST 1
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125




Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


गोपना प्राचार्य
गोपना प्राचार्य
प्राचार्य
गोपना प्राचार्य
करगीली (राज०)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3-4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5-8
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9-12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13-14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15-21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22-34

Signature valid

Digitally signed by Sumi Sharma
 Designation: Commissioner
 Date: 2023.06.08 17:13:07 IST 2
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
गीता पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (उज०)

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा प्रिकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक य स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
 - (i) सत्र 2020-21 रो प्रवेश प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दियेजा रहे हैं।
 - (ii) उच्च शिक्षा से विद्युत मूकविद्युत तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020-21 से आईकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी रांगड़ा मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
 - (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रत्याहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवरार प्राप्त हो सके।
 - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (MWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आस्काण व्यावरथा सुनिश्चित की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation/Commissioner
Date: 2023.08.10 13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125




 Coordinator(IQAC)
 Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


 प्राचार्य
 वीना मीमोरियल पीजी एसेज
 करौली (राज०)

- (vi) पाक विरभापि, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिल्ली अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
- (vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को सम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष नियम के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत रक्षान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आविर्त्तों को न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश का प्रावधान है।
- (ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशिक्षणिक, खेलकूद, समाज रेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
- (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xi) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु ज्ञानसुधा कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।
- (xii) सत्र 2020-21 से राजीव गांधी ई-कन्टेंट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य जारी है।
- (xiii) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए आचार्या/सह/सहायक आचार्या द्वारा युक्ति की स्थापना।
- (xiv) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32214




ग्रन्थालय
निम्न प्रोविन्चल योजी फँड़ीज
कौटीनी (राज०)

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

सालिका 2.1

राजस्थान कोर्स या आनन्दकोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनस
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय -45 वाणिज्यसंकाय-45 विज्ञान संकाय-48	कला संकाय - 48 वाणिज्य संकाय-48 विज्ञान संकाय -50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु-

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ऑफन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 17:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Sanganer
Jaipur - 302021, Rajasthan, India
Ph: +91 98292 22222

प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
कौली (रुजू)

- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर द्युके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन रँगूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकते।
- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्षों का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष गाना जायेगा।

नोट :-

- (i) ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अस्थर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- (ii) उक्त विन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।
 - 2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्थीरूप वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में रथान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त रथानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन—पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में रथान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसारपात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला / वाणिज्य	कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय – गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अस्थर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- 2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।
- 2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यापसाधिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अस्थर्थीयों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अस्थर्थीयों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kamuli-322244




प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी बॉल्ड
कौली (राज०)

2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पर्सनल विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जायेगी।

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

2.2.2 (i) रानातक रत्तर पर पार्ट प्रथम (पारा/ऑनर्स कोर्स)में किरी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य योग्यिता कक्षाओं में प्रवेश देकर उनको द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।

(ii) समरत महिला गहाविद्यालयों के रागरत विषयों में तथा सहशिक्षा गहाविद्यालयों में कला संकाय के विक्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्स्टार्ड-डाईग एण्ड प्रिंटिंग) की रानातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

2.3.1 अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक-वधिरदृष्टिहीन अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation/Commissioner
Date: 2023-06-08 17:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी पाइलोन
करीनी (राजस्त)

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर रामबव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि विन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जायेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को नियमित रागय अयधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने एवं।

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता कम

- 2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में दोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और दोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें दोनरा रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.2 यदि विन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.3 विन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.4 विन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृपि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृपि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर रामबद्धित महाविद्यालयों के कृपि संकाय के पाठ्य प्रथम में प्रवेश देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 10:13:07 IST 8
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
गीणा मिमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1 प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवैधत किसी विश्वविद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए / एम. कॉम.	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समर्त संकाग्रो* के अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एस.सी.	अहंकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान साकारी से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण— आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजरप्तान चाच्च के बाहर अवैधत किसी विश्वविद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण	रामी संकार्य	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम.जॉ. सिधे अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एस.सी. के सिधे आवेदित विषय के साथ विज्ञान साकारी से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

*अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से $10 + 2 + (3 \text{ वर्ष } \times \text{ तीन वर्ष से अधिककी स्नातक परीक्षा से है})$ ।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 रथान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु नहिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उम्मीदोंना क्षेत्र में स्थित गहाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.10 13:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्रागार्थ
वीणा मेमोरियल पीजी एज्लेज
करौली (राज.)

- 3.1.5 किसी भी अन्यथी को राजकीय महाविद्यालय में आईकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 त्रिवर्णीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अन्यथियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑगर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
- 3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अन्यथियों पर अन्तराल के पश्चात उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3.1 में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी।
 (ब) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतं निररत माना जायेगा।
- 3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा :
- 3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अन्यथियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशारान, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उद्योग सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के रथान पर 10 है।
- 3.2.5 जगत्कातीय दोत्रों में स्थित महाविद्यालयों को विन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 विन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटनवरीयता क्रम में किया जायेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस रात्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
 Designation: Commissioner
 Date: 2023-06-08 10:13:07 IST+0
 Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 3968125




 Coordinator(IQAC)
 Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


 प्राचार्य
 वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
 करौली (राज.)

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु :-

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:-

- (i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स को पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा । भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।
- (ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूचीबनायी जायेगी। दोनों यार्डों की समिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :
 - (a) जिन विषयों की प्रायागिक एवं सेंट्रलिस्ट दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।
 - (b) यदि प्रवेशार्थी को कोई योनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता वा निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की समिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्राचार्य
गोपा फैमोरियल गीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की रिक्ति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत रो अधिक रक्खानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हैं तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत रीटैं^{withheld} रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनसर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनसर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनसर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary)विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता कम में

- (i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करयाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क रामायोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी रांकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 17:13:07 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No.: 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-313001

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

नोट : विधि संकाय में प्रवेश बार कौसिल ऑफ इण्डिया / सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार होंगे।

4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड

- 4.1.1 वह अन्यथीं जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अधिकारी उपाधि कला / विज्ञान / वाणिज्य / भेषज (मेडीसन) / अभियांत्रिकी / नर्सिंग / पशुचिकित्सा / कृषि अथवा शास्त्री / आद्यार्थ / आयुर्वेदावार्य / आयुर्वेद वाच्चरपति या इसके रागका उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्ता उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निर्मांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान बार कौसिल आफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे। स्नातक अधिकारी स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अन्यथीं की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 आरक्षित वर्ग के अन्यथीं को उक्त पाठ्यक्रम में उप वर्गित अहंकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में छूट बार कौसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार देय होगी।
- 4.1.5 अहंकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अन्यथीं प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.6 अहंकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अन्यथीं को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शापथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अन्यथीं से इस आवाय का शपथ पत्र लेना होगा कि अहंकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की रिक्षति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4.1.7 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थीयों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।
- 4.1.8 किसी अन्यथी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.1.9 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में भाग छः में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्बलित नहीं किये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 15:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224.

प्राचार्य
गीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 4.1.10 यार कॉसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आयेदक जिन्होंने अहंकारी परीक्षा बुनियादी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 4.1.11 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध रथानों में न्यूनतम 1 रथान कश्मीरी पाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.12 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपरिथित होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की योग्यता सूची में उसके रथानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 4.2 विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता
- अहंकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- 4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए साजरथान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निररत करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निररत कर सकता है –

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा गिर्धा प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर इंसालक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराभीन हो।
- 5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समयअथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली—गलौंच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10 जो विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि—सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 12:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321



- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./राहायक कलेक्टर/तहरीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
- 5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया
- 5.3.1 विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आयेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आयेदन करना होता है। यदि नव सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में नियारित तिथि तक सत्र का शुल्क ई-मित्र पर जमा करा देता है तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जायेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स रद्डुडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-
- (i) नियारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
 - (ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं।
 - (iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
 - (iv) रख्ये लिखित में प्रवेश लेने से रप्पट इनकार कर दें।
 - (v) प्रवेश नीति के घंटम भाग के बिन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।
 - (vi) उपरिथित की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।
- 5.3.2 रामी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्द्धकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आयेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।
- 5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नौन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 15:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321121


प्राचार्य
वीना मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय य सृतीय में स्वर्यांपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे।

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1. अनुत्तीर्ण नियमित/स्वर्यांपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न रिस्टियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा—

- (i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
- (ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।
- (iii) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित किया गया हो।
- (iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में केवलएक बार पुनः प्रवेश/नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यार्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यार्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यार्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.5.3 अईकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यार्थी की पात्रता एवं परीक्षा निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यार्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिखिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित गाना जायेगा।

5.7 स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता
तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

- 5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्त लागू होगी।
- 5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्त पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने याले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।
- 5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –
- (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
 - (ii) गहाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संराख्यन उपलब्ध हों।
- 5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 11:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Main, Kannur.


प्रबुजी
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

- 5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश
- 5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
- 5.8.2 गिन्न-गिन्न स्थानों पर अवरिधि महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- 5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान य निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवरिधि महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।
- 5.8.5 रानातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।
- 5.9 स्थान (सीटे) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश
- समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रणीवार (कैटेगरीवाइज) रिक्त स्थानों की सूचनाका विस्तृत प्रचार-प्ररार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।
- 5.10 मूल प्रमाण पत्र वापस लेने हेतु निर्देश
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जगा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :
- किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कठिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.12 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेंगी।
- 5.13 आवेदित कक्षा की अन्तिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टसी) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 12:13:07 IST
Reason: Approve

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321101


प्राचार्य
वीना मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 5.15 किसी कारणवश बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट वी स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दियर में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
- 5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एक्समिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- 5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में रक्ताईवास (CTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों / पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जायेगी।
- 5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध प्रश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑफिनेन्सा गान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सब सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 5.19 पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिलोग/सटिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/गारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु विन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित छात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यूजी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।
- 5.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाइन माध्यम से रांचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजी.सी. के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।
- 5.21 सह—शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सब के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./रकाउट, रोबर-रेजर/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 10:13:07 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32222.

प्राचार्य
वीना मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (रज०)

- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/ संकाय सदस्य/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता दिलाई जायेगी।
- परामर्श के समय संबंधित गहाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिन से उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में समय-समय विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम रारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गार्ड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4.वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ उपमोक्ता वल्य/ मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय/ निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश:-

- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)पित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, नहानिरीकाक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजराजन, अजमेर के पत्र क्रमांक एक 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शापथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प सुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जायें।
- राज्य सरकार के परिषत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/युप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के हारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दरतावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 11:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322001


प्राचार्य
वीना मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)-

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अन्यथियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अन्यथियों के लिये कगश: 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का स्थान देय है [संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019] /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अन्यथियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। सिंदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019] /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पत्र हैं तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को नान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण—पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एक 11()आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022)
- 6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अन्यथी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की रोकाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जातिप्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.टी.सी./एम.टी.सी. संबंधी प्रमाण—पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण—पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन में रघुप्रमाणित शपथ—पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण—पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एक 11()आर एण्ड बी/सान्याअवि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 17:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉल-
करौली (राज.)

- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना रांचीधित आरक्षित नियतांश (कॉटें) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अईकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नान्मी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञाप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रत्रतुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञाप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विनाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जायपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय गहाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में विन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)**
- 6.2.1 मूँग, बघिर एवं दृष्टिगंभीरता(Blind) विद्यार्थियों को मनोवृच्छित महाविद्यालय में मनोवृच्छित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतीक्षित स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षेत्रिक्यर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 17:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 विन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 6.2.5 निःशब्दजन (दिव्यांग) को निःशब्दता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पिशिपीकृत विकिताकीय प्राधिकरण द्वारा निःशब्दता प्रमाण पत्र / UD ID (Unique Disability identity card) प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजरथान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला गुरुत्व विकितसाधिकारी / पी.एम.ओ.जिला अस्पताल / मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 6.3 शिक्षक अभ्यर्थी
प्रत्येक विषय की एम.एससी, पूर्वाद्वंद्व कक्ष में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजरथान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अनिम्न तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर पिया जायेगा।
- 6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आक्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णक यर पवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF)/राजरथान पुलिस कर्मियों के वार्डरा के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service 3. Wards of personnel awarded Gallantry award 4. Wards of awarded Ex servicemen	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्रभार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

*CAPF & CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी समिलित हैं।

6.5 कश्मीरघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)/एक भारत श्रेष्ठ भारत

- 6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी बच्चों में संबंधित वर्ग के अन्यथियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2. कश्मीरघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अन्यथियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसी सामान्य अन्यथियों से भरा जा सकेगा। कश्मीरघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अन्यथियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश रीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अन्यथियों को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अन्यथियों को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनियार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट औंक में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल नियासी होने का प्रमाण पत्र प्ररतुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्यथियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अन्यथियों यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के घरेलु क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अन्यथियों के लिए महाविद्यालय की रवीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए स्थान (अधिसंचयक) उपलब्ध होगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में रवीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सूचित की जा सकेगी।
- 6.6 ट्रांसजेण्डर अन्यथियों का प्रवेश
- यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किरी अन्यथी द्वारा सहशिद्धा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निनानुग्राम प्रवेश दिया जाये:-
- i. विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित रीटों से अतिरिक्त रीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश देय है।
 - ii. इस वर्ग के प्रवेश हेतु अन्यथी की लिंग संबंधी स्वर्य की घोषणा आधार रहेगी।
(आयुक्तालय आवेदन क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 11:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी लॉले
करौली (राज०)

- 6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रदेश योग्यता राही में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर यिगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिपिजन में यिगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ रनातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रदेश के समय ही दिया जावेगा।

6.7.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश गोमयता रूपी में वरीयता निर्वाचन हेतु देय जग
अ	<p>(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राज की प्रतियोगिता में देस का प्रतिनिधित्व</p> <p>(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व</p> <p>(iii) भारत सरकार के युवा भागले एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा गम्भीरा प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में सज्ज का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य विद्यायोगिति विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(v) विद्यालय संस्कारण राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(vi) गो.वी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p>	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	<p>(i) पश्चिम गोक्त्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य विद्यायोगिति विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल या दलस्थ</p> <p>(ii) राजस्थान राज्य शिक्षा प्रियांग द्वारा आयोजित सभ्य रस्तीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर</p> <p>(iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (कें.वी.एस.) / नवोदय विद्यालय संगठन (पु.वी.एस.) / आई.पी.एस. / रीमिक रक्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(iv) गो.वी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)</p>	6 प्रतिशत
स	<p>(i)भारत सरकार के युवा भागले एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा गम्भीरा प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(ii)अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(iii)केंद्रीय विद्यालय 'संगठन' /नवोदय विद्यालय संगठन /आई.पी.एस. / रीमिक रक्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन की राष्ट्रीय त्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व</p> <p>(iv)गो.वी.एस.ई. की बलसदर/पी.वी.एस. संस्कारण राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)</p>	5 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKai Ref No. : 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241



३	<p>(i) राजस्थान राज्य कीठा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलराष्ट्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(ii) राजस्थान राज्य विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रथान प्राप्त करने पर</p> <p>(iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रथान प्राप्त करने पर</p> <p>(iv) अधिकारी भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अधिस्थित विद्यालय से) के रीजनल/क्लर्कर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।</p>	३ प्रतिशत
४	<p>(i) राजस्थान राज्य कीठा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलराष्ट्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिते का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(iii) राजस्थान राज्य विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(iv) अधिकारी भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर</p> <p>(v) री.पी.एस.इ./केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अधिस्थित विद्यालय से) की क्लर्कर/जीन/रीजनल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर।</p>	२ प्रतिशत

विशेष टिप्पणी :

(अ) के बिन्दु संख्या १ व २ के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उद्धित लाभ देय नहीं होगा।

क्र.सं	स्तर	जिलका प्रमाण-पत्र माल्य हामा
१.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अधिकारी विश्वविद्यालय रोम, एरा, जी.एफ.आई., री.पी.एस.इ., संगठन के शष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
२.	प से र के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय कीठा परिषद, राजस्थान राज्य विभाग के उपनिदेशक/जिला विभागी अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.टी.एरा.इ., संगठन, आई.पी.एस. संगठन, जी.एफ.आई.सी.एस.एस. त्तर के पदाधिकारी/आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्रबाहर, राजस्थान राज्य के प्रबाहर तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
३.	द का (i) से (v) प का (i) से (v)	राजस्थान राज्य कीठा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य विभाग विभाग के उपनिदेशक/जिला विभागी अधिकारी/उपजिला विभागी अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्रबाहर, सम्बन्धित संस्था के प्रबाहर, सम्बन्धित संस्था के प्रबाहर तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-313001

प्राचार्य
पीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

1.	एथलेटिक्स (फ्रॉस कन्द्री दीड़ सहित)	19.	जूड़ो
2.	जलीय खेल (रवीमिंग डाईविंग एवं वाटर पॉलो)	20.	मुक्केबाजी
3.	बैडमिंटन	21.	मिनी गोल्फ़
4.	वार्स्टेटबॉल	22.	तीरन्दाजी
5.	शतरंज	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर प्रिस्टल
6.	क्रिकेट	24.	सॉफ्टबॉल
7.	साइफिलिंग	25.	अमेरिकन फुटबॉल
8.	फुटबाल	26.	बॉल बैडमिंटन
9.	डॉकी	27.	नेट बॉल
10.	कबड्डी	28.	रोलबॉल
11.	खो-खो	29.	रग्बी
12.	टेबिल टेनिस	30.	रकबैश रैकिट
13.	टेनिस	31.	लाइक्वांडा
14.	यॉलीयॉल	32.	बुशू
15.	हैण्डबाल	33.	योगा
16.	कुश्ती	34.	पावर लिफ्टिंग
17.	भारतीय एवं शारीर सौष्ठुद्ध	35.	ब्रिज
18.	जिमनास्टिक		

6.7.3 अन्यर्थी द्वारा विद्यालय / गहाविद्यालय रत्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

#.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में)	प्रदेश यांग्रेज़ी
सं.	जूनियर डिविजन/विंग (पांच सत्रों में)	सूनी में यांग्रेज़ी निर्धारण हेतु देय लाभ
अ।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर
ब।	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	प्रदेश
स।	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अंजित करने पर - गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान ऐरा जमियग कोस में स्काई डाउनिंग कोस पूर्ण कर्ता कैडेट एडवेन्चर माउटेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोस पूर्ण कर्ता कैडेट सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6. प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 17:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। गणतंत्र दिवस कैम्प अखिल भारतीय एडवार्स लीडरशिप कैम्प पैरा जम्बिंग कोर्स आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना। विद्यार्थी विंग में री प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति विद्यार्थी विंग में वी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ स्नो-स्कीइंगकोर्स सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैंडिट कैप्टन/कैंडिट पलाईट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	5 प्रतिशत
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अंजित करने पर। सी प्रमाण—पत्र सी ग्रेड के साथ वी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ जूनियर डिवीजन ए प्रमाण—पत्र सी ग्रेड के साथ। ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प ऑल इण्डिया वैरिक लीडरशिप कोर्स नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स वॉटर स्कीइंग कोर्स अण्डर ऑफिसर/कैंडिट कैप्टन/कैंडिट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	3 प्रतिशत

6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय रत्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलकलाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रदेश यांत्रिक सूची में वर्णियता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संरथाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूज़लैंड उत्तोर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवैचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संरथा द्वारा आयोजित एडवर्स कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संरथाओं के पर्वतारोहण में वैसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए विन्दे 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 11:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

6.7.5 अन्यथीं द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में दरीबता निरीक्षण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वर्य सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में द्वारा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपरिस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपरिस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपरिस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

6.7.6 अन्यथीं द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेञ्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में दरीबता निरीक्षण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्मूकशी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत रकाउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रकाउट/गाइड/रोवर/ रेञ्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार रकाउट/गाइड/ रोवर/ रेञ्जर अथवा राष्ट्रीय जम्मूकशी/राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	हीलीय सोपान रकाउट/गाइड अथवा नियुण रोवर/रेञ्जर अथवा रेटेंट रोवरस्मृट/रेञ्जर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवैंचर गतिविधि अथवा डेजार्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 15:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator (IQAC)

Veena Memorial PG College,
Veena Campus, Veena Marg, Karanji-522241




प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज०)

6.7.7 अन्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रदेश योग्यता गृही में वर्तीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं रामाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रदेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कौलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अन्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार कलब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रदेश योग्यता गृही में वर्तीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर	2 प्रतिशत
द	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार कलब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण —पत्र होने पर।	1 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321001



प्राचार्य
वीणा मिमोरियल पीजी कॉलेज
कौली (राज.)

6.7.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को रूपातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण—पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विकल्पालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत विफिल्स अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन रात्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यवित को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण— पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा वीं सम्पूर्ण पुस्तकों लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा करने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण—पत्र

6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला गाविद्यालय में उपलब्ध न हो)।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेपारत या सेपानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023-06-08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3968125


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena More, Karauli-322241


प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 6.8 जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में रनातक प्रथम वर्ष एवं सनातकोल्टर पूवार्ड में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्पीकूत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी ढेंथ समरी/मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड-19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड-19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर माता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो। ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफ़ी) प्रदान किये जाने के साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में स्थित छात्रायासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।
- 6.9 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
- 6.10 औन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों और से रक्केन कर अपलोड करना होगा। कौमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्थीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अविकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 6.12 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक नियमिति में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.13 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मर्दों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मर्दों की राशि माफ़ रहेगी।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.08 10:13:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3968125



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Main, Kharagpur-721334

प्रबन्ध
शिक्षा विभाग
कौटी (राजा)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://htc.rajasthan.gov.in/dept/dee/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2022-23 / 59 | दिनांक: 20 जून, 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: प्रवेश नीति सत्र 2022-23 वाबत।

गहोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

मंवरीय,



डॉ. के.एल. सिराधना
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/धौकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।


20.6.2022
(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी पीजी कॉलेज
करौली (राज०)



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
प्रवेश नीति 2022–23
(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

1



प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3-4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5-8
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9-12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13-14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15-21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22-34


 प्राचार्य
 वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
 करौली (राज.)
४८

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समरत राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
 - (i) सत्र 2020–21 से प्रवेश प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जा रहे हैं।
 - (ii) उच्च शिक्षा से वंचित मूकवधिर तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020–21 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
 - (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्त्वाहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
 - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
 - (vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
शीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- (vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को सम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशर्त्र बलों तथा राजस्थान पुलिस के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आक्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश का प्रावधान है।
- (ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
- (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा वारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xi) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु ज्ञानसुधा कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।
- (xii) सत्र 2020-21 से राजीव गांधी ई-कन्टेंट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य जारी है।
- (xiii) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सह/सहायक आचार्य द्वारा बुक बैंक की स्थापना।
- (xiv) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णक पर अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

4

प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनंद कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	आनंद
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पदम भाग के नियम-2 में परिभाषित)जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय -45 वाणिज्यसंकाय-45 विज्ञान संकाय-48	कला संकाय – 48 वाणिज्य संकाय-48 विज्ञान संकाय –50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु –

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष वज्र नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर युक्त विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- उक्त विन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

- 2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में रथान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में रथान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय – गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

* अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- 2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध क विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुरागर ही रहेगी।

- 2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

- 2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जायेगी।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322001

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास/ऑनर्स कोर्स)में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।
- (ii) समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा साहस्रिका महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाइल-डाइग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।
- (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तर्राल के पश्चात् प्रवेश

- 2.3.1 अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तर्राल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 2.3.2 अन्तर्राल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक-बधिर, दृष्टिहीन अभ्यार्थियों व महिला अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हो तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि विन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

प्राचार्य

वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करीती (राज०)

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

- 2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.2 यदि विन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.3 विन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.4 विन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322111

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

**तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता**

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवधित किसी विश्वविद्यालय से अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अईकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा अधेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एस.री.	अईकारी परीक्षा* अथवा अधेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय तो अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण- अधेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवधित किसी विश्वविद्यालय से अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण	सभी संकाय	अईकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम.के लिये अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण- तथा एम.एस.री. के लिये आधेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अईकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से $10+2+(3 \text{ वर्ष या तीन वर्ष से अधिक ली स्नातक परीक्षा से है})$ ।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अईकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वाद्वंद्व में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 निवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241



गोपनीय प्राचार्य

गोपनीय प्राचार्य

- 3.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3.1 में दी गई शर्त यथावत् लागू होगी।
- 3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अमाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतःनिरस्त माना जावेगा।
- 3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा:**
- 3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।
- 3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को विन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 विन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जायेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

10



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु :-

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:-

- (i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।
- (ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय याले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :
 - (अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं रौद्रान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।
 - (ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची



जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर विन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

(i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी संकाय /विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यूजी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेगें।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

12




प्राचार्य
शीरा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (रुजू)

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

नोट : विधि संकाय में प्रवेश बार कॉसिल ऑफ इण्डिया/सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार होंगे।

4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड

- 4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला/विज्ञान/वाणिज्य/भेषज(मेडीसन)/अभियांत्रिकी/नसिंग/पशुचिकित्सा/कृषि अथवा शास्त्री/आचार्य/आयुर्वेदाचार्य/आयुर्वेद वाचस्पति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान बार कॉसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त पाठ्यक्रम में उप वर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में छूट बार कॉसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार देय होगी।
- 4.1.5 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.6 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की स्थिति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4.1.7 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।
- 4.1.8 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.1.9 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में अध्याय छ: में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

- 4.1.10 बार कॉसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा युनियांडी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 4.1.11 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरी घाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.12 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा ने कम उपरिथित होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा भिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक भारतीय विश्वविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- 5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रयेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10 जो विद्यार्थी रेगिस्ट्रेशन गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

- 5.3.1 विधि संकाय सहित समर्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क ई-मित्र पर जमा करा देता है तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-
- निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
 - पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुर्तीर्ण घोषित होते हैं।
 - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
 - रखयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
 - प्रवेश नीति के पंचम भाग के विन्दु 5.1 में उल्लिखित शर्त पूर्ण नहीं करते हों।
 - उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।
- 5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निररत हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।
- 5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नौन कीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kerauli-32224




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करीनी (राज.)

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे।

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1. अनुत्तीर्ण नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न रिस्टियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा-

- (i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
- (ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।
- (iii) उपरिथित की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित किया गया हो।
- (iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में केवल एक बार पुनः प्रवेश/नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में विना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की रूनातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-312001

17



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (गढ़.)

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सब्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7 स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश देतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अहंकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अहंकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

- 5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होगी।
 5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।
 5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
 5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –
 (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय रामूह महाविद्यालय में उपलब्ध हों।
 (ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।
 5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321101

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

- 5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
- 5.8.2 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यवित संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- 5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।
- 5.8.5 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटे) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाइज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमत्रित कर सकेंगे तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

- 5.10 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जाये। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।


- 5.12 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।
- 5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- 5.15 किसी कारणवश बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अस्थर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अस्थर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अस्थर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
- 5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेवपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अस्थर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- 5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास (UV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तें /पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जायेगी।
- 5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का भार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र रारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 5.19 पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु बिन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित पात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यूजी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।
- 5.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाइन माध्यम से संचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजी.सी. के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।
- 5.21 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर-रेंजर/वाइ.डी.सी./गहिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

20



प्राचार्य
वीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- रनातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय-समय विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4.वाई.डी.सी./ महिला प्रकोष्ठ/ उपभोक्ता क्लब/ मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश:-

- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एक 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेश रटाएँ शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/मुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अस्थायी के द्वारा रवप्रमाणित मान्य होंगे।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

21

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक रांकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण—पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11() आ.क.व / डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दि. 06.05.2022)
- 6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सदास अधिकारी जिला मणिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेवटर/तहसीलदार वा राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.वी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण—पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण—पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में रवप्रमाणित शपथ—पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र वा दो मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322201

22



प्राचार्य
वीना मेमोरियल वीजी कॉलेज
करौली (राज.)

प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है।
(राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()())
आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अहंकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञाप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन वर्डी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)**
- 6.2.1 मूक, वधिर एवं दृष्टिवाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्थीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

23




प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

- 6.2.3 स्नातकोत्तर रस्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत विकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला गुरुद्वारा विकित्साधिकारी/पी.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 6.3 **शिक्षक अभ्यर्थी**
- प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वान्तर कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।
- 6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF)/राजस्थान पुलिस के कर्मियों के वार्ड्स के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – <ol style="list-style-type: none"> 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen. 	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF वे CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी समिलित हैं।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224




- 6.5 कश्मीरीघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)**
- 6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक गानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए स्थान (अधिसंचयक) उपलब्ध होगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें रूपजित की जा सकेंगी।
- 6.6 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश**

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जाये:-


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kamoli-322221




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- i विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश देय है।
- ii इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी ।
(आयुक्तालय आदेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)
- 6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अन्तर्गत लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा ।

6.7.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	<p>(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व</p> <p>(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व</p> <p>(iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलंपिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(iv) अंतिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(vi) सी.जी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवरिधत विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p>	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	<p>(i) पश्चिम द्वीपीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य</p> <p>(ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा पृथीवीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर</p> <p>(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.डी.एस)/ आई.पी.एस. /सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवरिधत विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल ऐपु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल ऐपु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>(iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवरिधत विद्यालय से)</p>	६ प्रतिशत
स	<p>(i)भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलंपिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(ii)अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>(iii)केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल</p>	५ प्रतिशत

	(राजस्थान राज्य में अवरिथ्ट विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) श्री. बी. एस. ई. की कलस्टर / जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता / उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	
८	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व / जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर गहाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय संगठन / आई. पी. एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवरिथ्ट विद्यालय से) के रीजनल / कलस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	३ प्रतिशत
९	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर गहाविद्यालय प्रतियोगिता में गहाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v) श्री. बी. एस. ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवरिथ्ट विद्यालय से) की कलस्टर / जोन / रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	२ प्रतिशत

विशेष टिप्पणी :

(अ) के विन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवरिथ्ट विद्यालय / महाविद्यालय / राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।

क्र.सं.	उत्तर	जिनका प्रमाण—पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., श्री.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी / आयोजन राचिव
2.	व से स के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, श्री.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सौनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी / आयोजन राचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3.	द का (i) से (v) एवं य का (i) से (v)	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी / उपजिला शिक्षा अधिकारी / आयोजन संघिव / आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।


Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321224


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

1.	एथलेटिस (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित)	18.	जिमनास्टिक
2.	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पॉलो)	19.	जूडो
3.	बैडमिंटन	20.	मुक्केबाजी
4.	बास्केटबॉल	21.	मिनी गोल्फ़
5.	शतरंज	22.	तीरन्दाजी
6.	क्रिकेट	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
7.	साइकिलिंग	24.	सॉफ्टबॉल
8.	फुटबाल	25.	अमेरिकन फुटबॉल
9.	हॉकी	26.	बॉल बैडमिंटन
10.	कबड्डी	27.	नेट बॉल
11.	खो-खो	28.	रोलबॉल
12.	टेब्ल टेनिस	29.	रंगबी
13.	टेनिस	30.	स्कॉर्चर रेकिट
14.	वॉलीबॉल	31.	ताइयरांडो
15.	हैण्डबाल	32.	बुशू
16.	कुश्ती	33.	योगा
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठुव	34.	पावर लिफिटंग
		35.	ब्रिज


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karadji-32224




प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

6.7.3 अध्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/विंग (पाँच सत्रों में)	प्रबंध योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रदेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वशेष कैडेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर - गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान पैरा जमिंग कोर्स में स्कार्फ डाउनिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैडेट एडवेन्चर माउन्टेनयरिंग तथा एडवांस माउन्टेनयरिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैडेट सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट वी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6 प्रतिशत
द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। गणतंत्र दिवस कैम्प अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प पैरा जमिंग कोर्स आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना। विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति विद्यार्थी विंग में वी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ स्नो-स्कीइंगकोर्स सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट पलाईट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	5 प्रतिशत
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर। सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ वी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ। ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प ऑल इण्डिया वैसिक लीडरशिप कोर्स नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स वॉटर स्कीइंग कोर्स अण्डर ऑफिसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	3 प्रतिशत



6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलकलाइनिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में वैसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-3222-

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर, रेन्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेन्जर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेन्जर अथवा स्टेट रोयरमूट/रेन्जर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार कलब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार कलब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण—पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

6.7.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण—पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण— पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अपनी कक्षा की सम्पूर्ण गुस्तकाँ लगातार तीन रात्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण—पत्र

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा रथानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो)।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.8 जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी/मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड-19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड-19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर माता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो। ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफी) प्रदान किये जाने के साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।

6.9 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।

6.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों और से स्कैन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध रवीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में रवीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Coordinator (QAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य

वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
काराली (राज.)

- 6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 6.12 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.13 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-3) विभाग के आदेश कमांक प.6(3)शिक्षा / युप-3 / 2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

34



प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (गढ़.)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2021-22 / 239 दिनांक: 16 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: प्रवेश नीति सत्र 2021-22 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/
जोधपुर/उदयपुर।
 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

(डॉ. सामित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (हज़०)



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
प्रवेश नीति 2021–22
(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

1



प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3-4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5-8
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर एवं एम. फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9-12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13-14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15-21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22-33

Suv

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

2


Raj
गोपा विश्विल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :—

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समरत राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्याद्वं की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में रामबद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत —
 - (i) केन्द्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी कोविड-19 के मध्यनजर राज्य सरकार ने विद्यार्थी हित हेतु व उनके द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में समतुल्यता लाने के लिए सत्र 2020-21 से प्रवेश में पर्सन्टाइल हटाकर प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
 - (ii) उच्च शिक्षा से पंथित मूकवधिर तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020-21 से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवरिथत महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
 - (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
 - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
 - (vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
 - (vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को समान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322221.

- (viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत रथान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश का प्रावधान है।
- (ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूट, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
- (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संरचनाओं एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xi) कौशल विकास हेतु आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित कैट (Certificate Course in Accounting Technicians) कोर्स, इन्हूं द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, दिशारी योजना, अग्रेजी भाषा सुधार हेतु Apps, IIT Bombay द्वारा संचालित Spoken Tutorial की सुविधा भी चयनित महाविद्यालयों में उपलब्ध है।
- (xii) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु ज्ञानसुधा कार्यक्रम राज्य के रामरत राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।
- (xiii) सत्र 2020–21 से राजीव गांधी ई-कन्टेंट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य।
- (xiv) प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार को आईडिया प्रोग्राम।
- (xv) संवाद रंगम प्रोग्राम के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को अभिभावक-शिक्षक रांगाद (PTM) का आयोजन किया जायेगा।
- (xvi) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सह/सहायक आचार्यों द्वारा बुक बैंक की स्थापना।
- (xvii) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णीक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जावेगा।

प्राचार्य
गणा पैमोरियल गौणी चॉल्ड
करौली (राज.)

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224.

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनंद कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	आनंद
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचग्राम के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय -45 वाणिज्यसंकाय-45 विज्ञान संकाय-48	कला संकाय - 48 वाणिज्य संकाय-48 विज्ञान संकाय -50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60


*अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु –

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार बोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फार बोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर /माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकें।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224


प्राचार्य
श्रीमा मैनोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- (i). ITI (NCVT) एवं RBASE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होगे।

- (ii) उक्त विन्दुओं में वर्तित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

- 2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में रथान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त रथानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों को आवेदन—पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में रथान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

रानातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

रानातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अहंकारी परीक्षा का रानातक
कला / वाणिज्य	कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि संकाय
विज्ञान — गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय — गणित समूह*
विज्ञान — जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

* अहंकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।


- 2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

- 2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बोर्डेनल कोर्स) में अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

- 2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान रानातक के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास/ऑनर्स कोर्स)में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/गिदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।
- (ii) रामरत महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, रांगीत, सिंधी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाईल-डाईग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।
- (iii) जनजाति उपयोजना धोत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात प्रवेश


- 2.3.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक-बधिरदृष्टिहीन अभ्यार्थियों व महिला अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे।
- 2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही प्रियार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्ध वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर सम्भव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पारा कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि यिन्हु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वर्तीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321001

7

S.M

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता कम

- 2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.2 यदि विन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.3 विन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.4 विन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.इ.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पाट्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।

SM


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्राचार्य
दीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता


क्रमांक	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवधित किसी विश्वविद्यालय से अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अंहकारी परीक्षा* में न्यूनतम 49 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समरत संकायी के अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एस.सी.	अंहकारी परीक्षा* में अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय से अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान संघ के बाहर अवधित किसी विश्वविद्यालय से अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण	सभी संकाय	अंहकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम के लिये अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एस.सी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अंहकारी परीक्षा से आशय मानस्ता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+ 2+(3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है)।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 किसी भी आभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अंहकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक /स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 विश्वर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
- 3.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3 में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी।
- 3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322221

Smt

Jyoti

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में दी एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अन्यथाई प्रवेश दिया जायेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह गत सत्र में दी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश रद्दतानिरस्त माना जायेगा।

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पैपर्स में स्थानों की सीमा :

3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अध्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

3.2.2 पिज्जान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।

3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के वित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजरथानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फ़ारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगोर्ख शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।

3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।

3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की विधति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.7 राष्ट्रीय संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जायेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर रचीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु :-

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:-

(i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पाठ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिप्लोजन) निर्धारण हेतु मान्य समरत विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षायं भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।

(ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की विधति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की समिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karmali-322224

(iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :

- (अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सेंद्रान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।
- (ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक राम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की रामिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत रीटै � withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर विन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अनियम प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पारा कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बड़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

- (i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

11



प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा कर कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किरी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रुपये रथानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क रामायोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी संकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

नोट : विधि संकाय में प्रवेश बार कौसिल ऑफ इण्डिया / सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार होंगे।

- 4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड
- 4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला / विज्ञान / वाणिज्य / भैषज (मेडीसन) / अभियांत्रिकी / नर्सिंग / पशुचिकित्सा / कृषि अथवा शास्त्री / आचार्य / आयुर्वेदाचार्य / आयुर्वेद वाचस्पति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्ररतावित राम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु श्रीमा संबंधित प्रावधान बार कौसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि के लिये श्रेणी निर्धारण में समिलित विषयों / प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे।
- 4.1.5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त पाठ्यक्रम में उप वर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में छूट बार कौसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार देय होगी।
- 4.1.6 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.7 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आयोग करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो रेट प्रगाणित अंकस्तालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकता है। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की रिक्ति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उराका प्रवेश स्वतः निररत माना जायेगा।
- 4.1.8 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम शीमा 60 होगी।
- 4.1.9 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उराके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

6/1

- 4.1.10 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में अध्याय छः में अंकित रियायतें एवं लाभ समिलित नहीं किये जायेंगे।
- 4.1.11 वार कौशिल ऑफ इंजिनियरिंग के निर्देशानुसार वे समरत आवेदक जिन्होंने अहंकारी परीक्षा युनियनी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होगे।
- 4.1.12 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरी धाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित / कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.13 विधि स्नातक की किरी भी कक्षा में कम उपरिथित होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रवेश का गात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अहंकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की रिक्ति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224



प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के राथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- 5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9 जो वर्तमान रात्रि में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के राथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौंच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10 जो विद्यार्थी रेगिस्ट्रेशन गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को रवतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जागा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निस्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

15


प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन रथान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एसडीओ/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
- 5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया**

- 5.3.1 विधि संकाय सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क ई-मित्र पर जमा करा देता है तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित गाना जावेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-
- निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
 - पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं।
 - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
 - स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
 - प्रवेश नीति के पंचम भाग के विन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्त पूर्ण नहीं करते हों।
 - उपरिथित की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।
- 5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।
- 5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी/अन्तर्राल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) बांधित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे।

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1. अनुत्तीर्ण नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न स्थितियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा—

- (i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
- (ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।
- (iii) उपरिथित ली न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से विचित किया गया हो।
- (iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में केवल एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अधिग्रहण कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।


5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वर्तीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णीक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निररत माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

17



प्राचार्य
वीणा प्रैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिथति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर गहाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं किया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7. स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

- 5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होगी।
- 5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्त पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होंगा।
- 5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा रथान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णीक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उरी रिथति में विचार किया जा सकेगा जबकि –
- (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त रथान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
 - (ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।
- 5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

प्राचार्य ~
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

- 5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
- 5.8.2 गिन-गिन स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- 5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।
- 5.8.5 रानातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।
- 5.9 स्थान (सीटे) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समरत योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (फैटेग्रीवाइज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेंगे तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

- 5.10 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निररत किया जा सकेगा। तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जगा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :


किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कठिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी रात्रि में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 5.12 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिग प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जगा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्ट से) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।
- 5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

19

S.M.

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

- 5.15 किसी कारणवश बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरगेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण—पत्रों के गीतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरगेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र रादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./री.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त गाना जायेगा।

5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहीं विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

5.17 चयनित महाविद्यालयों में वी.कॉम. के साथ कैट (Certificate Course in Accounting Technicians) का आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है, जिसके लिये पृथक से आवेदन गहाविद्यालय में करना होगा।

5.18 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में रथाईवारा (LTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों / पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/ERRO) को दी जावगी।

5.19 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्सा मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अरपष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आगुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आयोग द्वारा पत्र में रपट्टा: यह अंकित करना होगा कि सत्र के दौरान एन.री.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर—रेजर/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।
 - प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली रामितियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई ऐजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी ।

परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुराग ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321321

गुरु
प्राचार्य
दीपा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करीती (राज०)

- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
 - विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
 - प्रथग वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
 - रनातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी चथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में सामय-सामय विभागीय बैठकों पर जारी निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोडर-रेफर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4.आई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ / उपनीता वलब/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियाँ	आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देशः—

- i) राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संरथाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेश रटाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
 - ii) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दरतादेज अर्थर्थी के द्वारा रखप्रमाणित मान्य होंगे।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

गुरु
प्राचार्य

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ


- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4 / 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4 / 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}
- 6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाग के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के साक्षम अधिकारी जिला मणिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की रोकाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.बी.री./एम.बी.री. संबंधी प्रमाण—पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु कीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार कीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण—पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी कीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में रघुप्रमाणित शपथ—पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकारिता तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण—पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रधिकृत विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अंकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

Coordinator(IQAC)


Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राक्षर्य
पीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित रथान प्रथमत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त रथानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञाप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञाप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित रथानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित रथानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के रथान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक P.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन वडी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में विन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार रथानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- ## 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)
- 6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिवाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवाचित महाविद्यालय में मनोवाचित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें रवीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध रथानों में 5 प्रतिशत रथान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षेत्रिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक रथान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की विधि में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 विन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किरी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, यान्यता सूची में उच्च रथान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत विकित्ताकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224



प्राचार्य

वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

(भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य विकासाधिकारी/पी.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एसरी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक रथान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनायन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित रथान को सामान्य रथान मानकर प्रवेश की अनितम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आधितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF) कर्मियों के बार्डस के लिये 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के अधार पर प्रवेश देय होगा – 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen.	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF वे CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित हैं।

6.5 कश्मीरीघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)

- 6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध रथानों में एक प्रतिशत रथान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की विधति में प्रवेश की अनितम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अनितम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321001

24

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज०)

- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पाक्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत रथान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एराए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आगे याले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की रवीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए दो रथान (अधिरांख्यक) उपलब्ध होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वरीयता अनुसार प्रवेश देय होगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में रवीकृत सीटों के अतिरिक्त दो रीटें सृजित की जा सकेगी।

6.6 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावे:-

- विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित रीटों से अतिरिक्त रीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश देय है।
- इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी । (आयुक्तालय आवेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)


- 6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाग अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ क्रमशः रनातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वांक के प्रवेश के साथ ही दिया जावेगा।

6.7.1 अमर्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रदेश योग्यता सूची में वरीगता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलंपिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता / उपविजेता तथा अक्षिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रदेश
प	(i) परिवर्ग क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) / नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.) / आई.पी.एस. / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता / उपविजेता तथा अक्षिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
स	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलंपिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय संगठन / आई.पी.एस. संगठन / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) सी.बी.एस.ई. की बलस्टर / जीन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता / उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
द	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व / जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत


Coordinator (IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Mare, Katturalli, 321102



प्राचार्य

वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

	(v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय रो) के रीजनल/क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
ग	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv) अखिल भारतीय संरक्षित विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय रो) की क्लस्टर/जौन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 प्रतिशत

विशेष टिप्पणी :

(अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण—पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (v)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राज्य एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन संचिव
2.	ब से स के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/आयोजन संचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रगारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3.	द का (i) से (v) एवं य का (i) से (v)	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन संचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रगारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।



Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224



प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

1.	एथलेटिक्स (क्रॉस कन्फ्री दौड़ सहित)	18.	जिमनास्टिक
2.	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पॉलो)	19.	जूडो
3.	बैडमिंटन	20.	मुक्केबाजी
4.	वारकेटबॉल	21.	मिनी गोल्फ
5.	शतरंज	22.	तीरन्दाजी
6.	फ्रिकेट	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
7.	साइकिलिंग	24.	सॉफ्टबॉल
8.	फुटबाल	25.	अमेरिकन फुटबॉल
9.	हॉकी	26.	बॉल बैडमिंटन
10.	कबड्डी	27.	नेट बॉल
11.	खो-खो	28.	रोलबॉल
12.	टेबिल टेनिस	29.	रम्पी
13.	टेनिस	30.	रक्कयेश रैकेट
14.	बॉलीबॉल	31.	ताइक्वांडो
15.	हैण्डबाल	32.	बुशु
16.	कुश्ती	33.	योगा
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सीष्टव	34.	पावर लिफ्टिंग
		35.	द्विज

Coordinator(IQAC)
 Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

प्राचार्य
 श्रीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
 करौली (राज.)


6.7.3 अन्यथीं द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/विंग (पाँच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वशीवता निर्धारण हेतु देय ज्ञान चूनातम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा घयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर - गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाउनिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैडेट एडवेन्चर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवर्स माउन्टेनेयरिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैडेट री प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट वी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6 प्रतिशत
द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए घयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। गणतंत्र दिवस कैम्प अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प पैरा जम्पिंग कॉर्स आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना। विद्यार्थी विंग में री प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति विद्यार्थी विंग में वी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ रनो-स्कीइंगकॉर्स सीनियर ऑफिसर आफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट प्लाईट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	5 प्रतिशत
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर। सी प्रमाण—पत्र सी ग्रेड के साथ वी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ जूनियर डिवीजन ए प्रमाण—पत्र सी ग्रेड के राथ। ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प ऑल इण्डिया यैसिक लीडरशिप कोर्स नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स वॉटर स्कीइंग कोर्स ऑफिसर ऑफिसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जन्ट रैंक पर नियुक्ति	3 प्रतिशत


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-313001

29




प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

6.7.4 अमर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलकलाइग्रिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ


क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में वैसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए विन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अमर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान—प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता / राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर पुरस्कृत रूपयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपरिथिति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपरिथिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपरिथिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karnal-132201


प्राचार्य
रीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत रकाउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रकाउट/गाइड/रोवर/रेजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूताम उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार रकाउट/गाइड/रोवर/रेजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान रकाउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेजर अथवा निपुण रोवर/रेजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य रत्नीय एडवैचर गतिविधि अथवा डेजार्ट ट्रैकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वर्णियता निर्देशन हेतु देय लाभ नमूनाम् उत्तीर्णक पर प्रवेश
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	नमूनाम् उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंकिंग प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग रत्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंकिंग प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार वलब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार वलब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपरिथिति का प्रमाण—पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

6.7.9 समाज रोपा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण—पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में रवैचिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति रात्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण—पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुरतकें लगातार तीन सत्र तक तुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण—पत्र


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-313001


प्राचार्य
पैमोरियल पीजी कॉलेज
रीमी (गजा)


6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो)।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

- 6.8 जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में न्यूनतम् उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र में माता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो।
- 6.9 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.11 वाले अन्तर्गत न्यूनतम् उत्तीर्णक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
- 6.10 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों और से स्कैन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ राज्यधित सकाम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की रवप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। रवप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बात में रखीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकातम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 6.12 उपर्युक्त लाभ में से किसी एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.13 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-3) विभाग के आदेश कमांक प.6(3)शिक्षा /युप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli - 245001

33


प्राचार्य
वीना मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प. 7 (4) अकाद / आकाशि / प्रवेश नीति / 2020-21/११७ दिनांक : 25.6.2020

समस्त
प्राचार्य, राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :- राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित प्रवेश नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया, केन्द्र एवं राज्य सरकार एडवाईजरी कोडिड-19 के मध्यनजर अकादमी सत्र 2020-21 की प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड कर महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।


(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 7 (4) अकाद / आकाशि / प्रवेश नीति / 2020-21 /

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित है-

1. साहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / चालापुर ।
2. वेब प्रभारी अधिकारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।


(आ.ओ. दीपक मेहता)
संयुक्त निदेशक, अकादगिक


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्राचार्य
वीणा पैनोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार प्रवेश नीति 2020–21

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-3221-

1

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3-4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5-8
	तृतीय भाग: स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9-12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13-14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15-21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22-33


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

2


प्राचार्य
वीणा प्रैमोरियल पीजी कॉल-
करौली (राज०)

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्यात् कोरोना कोविड-19 के आधार निर्मांकित है :-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वोर्ड की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत -
 - (i) केन्द्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी कोविड-19 के मध्यनजर राज्य सरकार ने विद्यार्थी हित हेतु य उनके द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में समतुल्यता लाने के लिए सत्र 2020-21 से प्रवेश में पर्सन्टाईल हटाकर प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया है।
 - (ii) उच्च शिक्षा से वंचित मूकविधि तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020-21 से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिविलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
 - (iv) गहिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में गहिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत छोनस दिये जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक गहिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवरार प्राप्त हो सके।
 - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉल
करौली (राज.)

- (vi) पाक विरधापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अम्बर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
- (vii) द्रांसजोण्डर आम्बर्थियों को सासम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें व्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (Viii) भारतीय सेना य केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु ३ प्रतिशत स्थान आवंशिकत करने के साथ-साथ शहीदों के आवंशिकता व्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश का प्रावधान है।
- (ix) रामगढ़ व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशिक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रथेश हेतु प्राथमिकता तथा योनरा अंकों का प्रावधान है।
- (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्नुखी बनाने के लिए एय कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xi) कौशल विकास हेतु आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित कैर्ट (Certificate Course in Accounting Technicians) कोर्स, इन्‌ट्रू द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, दिशारी योजना, अंग्रेजी भाषा रुपार हेतु Apps, IIT Bombay द्वारा संचालित Spoken Tutorial की सुविधा भी चयनित महाविद्यालयों में उपलब्ध है।
- (xii) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु प्रतियोगिता ध्वना कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।
- (xiii) सत्र 2020–21 से ऑनलाईन है – कनेक्ट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य।
- (xiv) प्रत्येक माह के छित्रीय तथा घरुर्ध रानिवार को आईडिया प्रोग्राम
- (xv) रांचाद सगम प्रोग्राम के तहत प्रत्येक माह के अनिम शनिवार को अभिभावक-शिक्षक संचाद (PTM) का आयोजन किया जायेगा।
- (xvi) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सह/सहायक आधारों द्वारा मुक्त बैंक की स्थापना।



Cookinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

4

प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं मात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनंद कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम मात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	आनंद
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पदाम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय - 45 वाणिज्य संकाय - 45 विज्ञान संकाय - 48	कला संकाय - 48 वाणिज्य राकाय - 48 विज्ञान संकाय - 50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अन्धर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु -

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार बोर्केशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश होने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटी.आई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात नेशनल काउंसिल फार बोर्केशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर द्युके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241




प्राचार्य
वीणा ऐमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)
(राज.)

- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात लधा किसी मान्यता प्राप्त पोलोटैगेनक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोसे उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के रामकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- ITI (NCVT) एवं RBSE/RSSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
 - उच्च विन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित यग) का विद्यार्थी माना जायेगा।
- 2.1.1 सभी पत्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्थैकृत यग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता कम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्ता न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र स्थीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

रानातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की सकायानुसार पात्रता

रानातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अहंकारी परीक्षा का संकाय
कला / वाणिज्य	कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि संकाय
विज्ञान - गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय - गणित समूह*
विज्ञान - जीव विज्ञान यग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

*अहंकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय रामूँहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- कृषि पाठ्यक्रम से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जायेगा। परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यायशास्त्रिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी 12वीं कक्षा की अकातालिका में अष्ट चार विषयों (Best four Subjects) के अंकों तथा वांछित विषय के प्राप्ताक जोड़कर ही प्राप्ताक प्रतिशत की गणना की जायेगी।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


 प्राचार्य
 वीना मीमोरियल पीजी कॉलेज
 करौली (राज.)
प्राचार्य

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास/ऑनर्स कोर्स) में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वाइल कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समाधोजित कर दिया जायेगा और इसकी रूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।
- (ii) समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सहविद्यालयों में कला संकाय के विकल्प, अयोगी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन गनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाइल-डाइंग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।
- (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रिथत महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

- 2.3.1 अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक-वधिरदृष्टिहीन अभ्यार्थियों व महिला अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही छिपार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में रक्तान्तर नियम की विन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि विन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में रक्तान्तर उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जायेगी। रिक्त स्थानों पर दर्शायता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।



Coordinator (IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

7



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

2.5 प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश अंहकारी परीक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत के आधार पर होगे।

2.6 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

2.6.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.6.2 यदि विन्दु 2.6.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.6.3 विन्दु 2.6.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्ताक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.6.4 विन्दु 2.6.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

2.7 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम माग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित सायुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्पन्न नहाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32222




प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1

प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र. सं.	अभ्यासियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.फिल.	अंडकारी परीक्षा* में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक अधिक आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त सकारी के अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एस.सी.	अंडकारी परीक्षा* अस्त्रया आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विद्यान राकाय से अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण- आवेदित विषय के साथ विज्ञान साधारण उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान राज्य के बहुर अवधिक विद्यालय से अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण अस्त्रयी	सारी संगत	अंडकारी परीक्षा* में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.फिल. के लिये अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण सभा एम.एस.सी. के लिये अवेदित विषय के साथ विज्ञान साधारण से अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अंडकारी परीक्षा से आशय गान्धी प्राप्त विश्वविद्यालय से $10+2+(3 \text{ वर्ष या तीन वर्ष से अधिक छी स्नातक परीक्षा सेही})$

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु भव्यद्वय विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 रथान रिवत रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला प्रत्याशियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यासियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 उन जातीय उपयोजना क्षेत्र में विषय गान्धीविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुन उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 विद्यार्थी जो अभ्यासी को राजकीय गान्धीविद्यालय में अंडकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवशाल दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अधिक एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यासियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ ऑनलाइन स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
- 3.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यासियों पर अन्तराल के पश्चात उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3 में दी गई जारी धरावत लागू होंगी।
- 3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बंधित कोई प्रतिवर्ग नहीं होगा।
- 3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अपने सब में शी.एड. करने के पश्चात गान्धीविद्यालय की रक्तालोहार कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी लो टी.सी. के अन्तर्व. में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। विद्यार्थी से एक इष्ट पत्र लिया जायेगा कि यह गत रस में शी.एड. का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम जारा होने पर वह दी री प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतःनियत माना जायेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karnal-1322241

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा:

- 3.2.1 प्रश्नविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक प्रश्नविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के वित्तकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और नौकरी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, गणविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिंच्ची फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।
- 3.2.5 जगजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 विन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन योग्यता क्रम में किया जायेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्थीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यमार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का नियंत्रण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा—

- (i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : आधारी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम डिलीय एवं दूसीय के श्रेणी (डिलीजन) निर्धारण हेतु मात्र समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जाएगा। भले ही ये परीक्षायें गिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।
- (ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय याले अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की लगी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322211

10



प्राचीर्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा:

- 3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अध्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.2.3 गहिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और नीलोंजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, गणोविज्ञान, राजस्थानी, सत्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।
- 3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण सभी सत्र के लिए रथगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में दिया जायेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए रथगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत रथानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए रैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित अधार पर किया जायेगा—

(i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अध्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिलीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षायें गिन्न गिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।

(ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में आन्य विषय यात्रे अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की समिलित वरीयता सूची के अधार पर प्रवेश दिया जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321121

10



प्राचोर्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

(iii) उच्च दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :

- (अ) जिन विधयों की प्रायोगिक एवं सेंद्रान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग रचीकार्य होगा।
- (ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होगा।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान य भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की समिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित रूची में सख्त, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित रथानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की रिस्ट्रिक्शन में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक रथानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाद्यक्रमों में भिन्न संकाय से रनातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हैं तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकती है। तीनों संकायों के स्नातक पाठ्य विषय के परिणाम आने पर यिन्हें (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनसर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनसर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत अकों की चृद्धि कर योग्यता सूची लैयार की जावेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनसर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अकों में चृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो यरीयता कम है।

- (i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी आ क्रम ऊपर होगा।
- (ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अध्यार्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम याद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा कराकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समाधोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी सकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित महाविद्यालय यूजी.सी द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322222

प्राचार्य
पी.ए.मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

- 4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड**
- 4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अध्ययन स्नातकोत्तर उपाधि कला / विज्ञान / याणिज्य / भेषज (मेडीसन) / अग्निर्णयिकी / नसिंग / पशुधिकिल्सा / कृषि अथवा शास्त्री / आचार्य / आयुर्वेदाभार्य / आयुर्वेद वाचसपति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उच्चर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए गान्धा दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान वार कौशिल आफ इण्डिया के द्वारा प्रदेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होगे। स्नातक अध्ययन स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्ताक अधिक हो वह प्रवेश हेतु गान्धा होगा।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर रत्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अधिर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि के लिये श्रेणी निर्धारण में समिलित विषयों / प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे।
- 4.1.5 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / एल.बी.सी. (चिकनी परत को छोड़कर) / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में उपर्युक्त अहंकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती।
- 4.1.6 अहंकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य धोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.7 अहंकारी परीक्षा में पुनर्भूत्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अधिर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकता। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्भूत्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही गान्धा होगा। अभ्यर्थी रो इस अवश्य का शपथ पत्र लेना होगा कि अहंकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की रिक्ति में दरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश रखते निरस्त माना जायेगा।
- 4.1.8 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।
- 4.1.9 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विवार नहीं किया जायेगा।
- 4.1.10 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की दरीयता निर्धारण में अव्याय छ. में अंकित रिक्तियते एवं लाभ समिलित नहीं किये जायेंगे।
- 4.1.11 वार कौशिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अहंकारी परीक्षा युनियनी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अध्ययन पत्राचार माल्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।



- 4.1.12 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरीशिखाई विस्थापित और कश्मीरी पंडित / कश्मीरी हिन्दू गणिकार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.13 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपरिथित होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन बष्टौ में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एलएल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्ताक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होगे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय में कोई प्राक्थान नहीं होने की सिद्धति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

नोट: बार कॉसिल ऑफ इण्डिया के नियम मान्य होंगे।




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224


प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज,
करौली (राज.)

पंचम भाग
प्रवेश के सामान्य नियम

- 5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –**
- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
 - 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
 - 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित रियों तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
 - 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
 - 5.1.5 जो पूर्ण योगी में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
 - 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
 - 5.1.7 जिसको विस्तृत किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंतात्मक व्यवहार करने का आपराधिक गामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
 - 5.1.8 जो न्यायालय के हृषा नीतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
 - 5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के राथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गली-गलीच करने का दोषी पाया गया हो।
 - 5.1.10 जो विद्यार्थी रेंटिंग गतिविधि में लिपा पाया गया हो।

नोट – अभ्यर्थी को दस्तावेजों में शक्त होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को रखता है।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय राजकार द्वारा किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो रोना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक दल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

15


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
चौली (राज०)

5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्बू सीनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ. / सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध रस्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया


5.3.1 विधि संकाय सहित रामस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बंधित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि 30 जून तक सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा देता है, तो पात्रता शर्तों की पूर्ण होने की रिक्ति में यह प्रवेशित माना जाएगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स रद्डॉन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित रिक्तियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-

- (i) निर्धारित तिथि तक यर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
- (ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीण घोषित होते हैं।
- (iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा ले।
- (iv) रद्द लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इनकार कर दें।
- (v) प्रवेश नीति के पंचम भाग के विन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तों पूर्ण नहीं करते हों।
- (vi) उपरिथित की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीण ऐसे छात्र, जिन्हें शिश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अरथाई प्रवेश रस्ता ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।

5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आश/नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण गहाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अवार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) बांधित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्रत्यार्थ नियमानुसार कियार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

 Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karamati-322241

16



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1 अनुत्तीर्ण स्थानपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न रिधतियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा—

- (i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
- (ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।
- (iii) उपरिधित की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से बंधित किया गया हो।
- (iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अनार्थीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अनार्थीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता ठीक का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम हितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में एक बार पुन विवेश दिया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने आगली कक्षा में विना परीक्षा परिणाम घोषित हुए जुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश


5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की रनातकोत्तर पूर्वान्दे में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के तिथे पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्ताकांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णका पांडे जायेगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निररता माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम वित्तन से घोषित होने की रिधति में प्रवेश इन परिरिधियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिक्षितता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क गहाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे यापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर यह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

17



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.7. स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अहंकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण ।	अहंकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर नियम 6.1 की जरूर लागू होगी।

5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा रवयपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्त पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय ने प्रवेश देय होगा।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें उत्तीर्णांक तक प्रदेश दिया जा सकेगा।


5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी रिस्ति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

- (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
- (ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।


5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

- 5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूरारे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
- 5.8.2 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने औरी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई घटित संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- 5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की रिस्ति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हो। तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224




प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.8.5 स्नातक पार्ट द्वितीय व सूतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही शिशार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीट) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लग्नित न होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (फैटेंगरीवाईज़) रिक्त स्थानों की सूचना का दिस्तृत प्रबास-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

5.10 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापरा लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी., लैंकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कातिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.12 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।


5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टस) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।

5.14 कक्षा में उस्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.15 किसी कारणवश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की रवैये द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विलूप्त वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निररत माना जायेगा।

5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

5.17 चयनित महाविद्यालयों में यो.लॉ.प. के साथ कैट (Certificate Course In Accounting Technicians) का आई.सी.एआई द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है, जिसके तिये पृथक से आवेदन महाविद्यालय में करना होगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College

Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224



प्राचार्य
वीना मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.18 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास(LET)चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों / पाब्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जावेगी।

5.19 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑफिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भग वीर्य स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय रो रपटीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अकित करना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर-रेजर/वाई.डी.सी. /महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विरतार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को रांचालित करने वाली रागिनियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त रांचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जाये।
- गतिविधियार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के भांथंधित समन्वयक को ५ अगस्त तक उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवश्यक करना अनियार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय-समय विभागीय वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

20




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

पाठीयियि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
१. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय हारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
२. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
३. सेक्यर-ईंजर	सेक्यर एवं गार्ड युक्ष्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
४. याई.सी.सी. / महिला प्रकोष्ठ / उपभोक्ता पत्र / मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियाँ	आयुक्तालय / निवेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देशः—

- i. राज्य अधिगूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जम/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अग्रिमात करने के प्राचीनतम के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय रटाय शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
- ii. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/युष-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अर्थार्थ के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224


प्राचार्य
वीणा ऐमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.) (राज.)

घट्टग्रं भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (विकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (विकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी समिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक ७(1)कार्मिक / क-2/ 2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग ने आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पातना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1)कार्मिक / क-2/ 2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4 / 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}
- 6.1.3 स्नातकोत्तर य एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार हारा निर्धारित रेस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सभी अधिकारी जिला बजिस्ट्रैट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी हारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार शामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()) आर एण्ड पी/रा.न्या.अ.पि/ 12/ 7376-409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश रेतर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये रुमी सामान्य योग्यता सूची में समिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रगिष्ठ विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अईकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321101

प्राचार्य
 वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
 करौली (राज.)

- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जावेगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञाप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 यारां जिले के किशनगढ़ एवं शाहवाद लहरील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारा जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शारान उप सचिव, कार्मिक (छ-2) विभाग राजरक्षण सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जसपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार लक्ष केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की रांछ्या में वृद्धि की जाती है, तो उन यद्वाहुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल के प्रत्येक विषय/कक्ष में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)**
- 6.2.1 भूकंप, बधिर एवं दृष्टिविकीर्ति (Blind) विद्यार्थियों को भनोवाछित महाविद्यालय में गनोवाचित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्थीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षेत्रिजवरी (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहाँ यह सख्त्या एक से भी कम हो, वहाँ भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की विधि में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

 Coordinator (IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

23



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉल.
कारौली (राज.)

6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पिशेष्टीकृत चिकित्साकीय प्राप्तिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र प्रिशेयांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पौ.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वाद्वंद्व कक्ष में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आवश्यित रहेगा, जिसका गनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अनिम्न लिंगि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF) कर्मियों के आविर्तों को प्रवेश हेतु दृथ लाभ

	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शाहीद कर्गचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णिक पर अंदरा
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवाभिवृत कर्गचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की दृढ़ि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF) कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award 4. Wards of awarded Ex-servicemen	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF और CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG लेवल के बच्चे निष्पत्ति हैं।


6.5 कश्मीरीघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)

प्रत्येक सकाय गें प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग शाहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

6.5.2 कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी ने उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अनिम्न लिंगि को इसी सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अनिम्न प्रवेश लिंगि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224




प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान अतिरिक्त रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की रवीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए दो स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होंगे। इसकुल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वरीयता अनुसार प्रवेश देय होगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में रवीकृत सीटों के अतिरिक्त दो रीटें सृजित की जा सकेगी।
- 6.6. **ट्रांसजेप्टर अभ्यर्थियों का प्रवेश**
यदि तृतीय लिंग (थर्ड जॉडर/ट्रांसजेप्टर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे गिमानुसार प्रवेश दिया जावे : -
 i. यिहिन पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश देय है।
 ii. इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी। (आयुक्तालय आदेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)
- 6.7. अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.री. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ क्रमशः स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समर्थ ही दिया जायेगा।



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224



प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉल
करौली (राज०)

8.7.1 अम्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलक्षि प्राप्त करने पर देय लाभ

सं. क्र.	उपलक्षि	प्रदेश संग्रहालय सूची ने बरीवत निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के रिक्ता एवं रामाज कास्चाण नंब्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सत्र की प्रतिरक्षण में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युग्म मामले एवं खेल गंवालय तथा भारतीय ओलंपिक नहासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित शृंखलारीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दस अध्या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तानीषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दस अध्या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर (v) विद्यालय संस्थान राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.डी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) श्री.डी.एस.है. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवरिधत विद्यालय से दलीय खेलों ने विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर	प्रदेश संग्रहालय उत्तराखण्ड प्रतिशत पर प्रदेश
इ	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तानीषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दस राज्य का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य संस्थान विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.डी.एस.) / नवोदय विद्यालय संगठन (एन.डी.एस.) / आई.पी.एस. / रीगिक रक्कूल (राजस्थान राज्य में आवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर (iv) सी.डी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवरिधत विद्यालय से)	6 प्रतिशत
प	(i) भारत सरकार के युग्म मामले एवं खेल नंब्रालय तथा भारतीय ओलंपिक नहासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सी.डी.एस. रक्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन द्वारा राष्ट्रीय रैंकिंग की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) सी.डी.एस.ई. की बलरूप/जोग संसारीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
इ	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिवर्द्धन द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य संस्थान राज्य प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यतारीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला संसारीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय स्पेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर प्रवासी विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंकिंग प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

	(iv)अंडिल भारतीय संचरृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v)केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय रो) के रीजनल / बलस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
५.	(i)राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा गान्धी ग्राम संगठन द्वारा आयोजित शर्यत विद्यालय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii)विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv)अंडिल भारतीय संचरृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v)सी.टी.एस.इ. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की बलस्टर/ बोन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	२ प्रतिशत

विशेष टिप्पणी

(अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अस्थर्थियों को निम्नानुसार सहाय अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रेषण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्र.सं.	रहर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के ध्येय संकालय, भारतीय सेवा प्राधिकरण, अधिकारी विश्वविद्यालय राज्य, एस.जी.एफ.आई., सी.टी.एस.सी. संगठन के राज्यीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
2.	ब रो से के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय कीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.टी.एस.इ. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक रवूल संगठन के राज्यीय स्तर पर पदाधिकारी/आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सामग्रित संस्था के प्राचार्य तथा प्रमाणित एवं रजिस्ट्रेटेड।
3.	द का i) से (v) एव य का i) से (v)	राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा गान्धी ग्राम साक्षात् राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College

Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322



प्रावर्ग्या
मीरोरियल पीजी कोर्ली
कौरली (राज.)

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होगे:-

1.	एथलेटिक्स (क्रॉस कन्फ्री दौड़ सहित)	12.	जिमनास्टिक
2.	जलीय खेल (खीमिंग डाईविंग एवं पाटर पोल)	13.	जूँड़ो
3.	बैडमिंटन	20.	मुक्केबाजी
4.	बास्केटबॉल	21.	मिनी गोल्फ़
5.	शतरंज	22.	तीरन्दाजी
6.	फ्रिकेट	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
7.	साइकिलिंग	24.	सॉफ्टबॉल
8.	फुटबॉल	25.	अमेरिकन फुटबॉल
9.	हॉकी	26.	बॉल बैडमिंटन
10.	फेवड़ी	27.	नेट बॉल
11.	खो-खो	28.	रोलबॉल
12.	ट्रैविल ट्रेनिस	29.	रग्बी
13.	ट्रेनिस	30.	स्कैचर रेकिट
14.	बॉलीबॉल	31.	ताइबचाड़ो
15.	हैण्डबाल	32.	दुश्चू
16.	कुश्ती	33.	योगा
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठुद्य	34.	पावर लिफिटिंग
		35.	द्विजा

6.7.3 अपार्थी हारा विद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सभेनियर डिवीजन / विंग (तीन सत्रों में) जूग्नियर डिविजन / विंग (पांच सत्रों में)	प्रदेश दोषका शुद्धी में शीघ्रता नियंत्रण हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. हारा चयनित होकर ऐश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैर्डेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर - गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान पैशा जग्धिंग कोर्स में स्काइ डाचिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैर्डेट एडवेन्चर मार्जनेशनरिंग तथा एड्यूकेशन मार्जनेशनरिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैर्डेट सी प्रमाण पत्र ए ग्रैड प्राप्त कैर्डेट दी प्रमाण पत्र ए ग्रैड प्राप्त कैर्डेट	5 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

	ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कोर्स	
व	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए ध्यानित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। गणतंत्र दिवस कैम्प अखिल भारतीय एडवांस लौडरशिप कैम्प पैरा जभिंग कोर्स आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना। विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ स्नो-स्कीइंगकोर्स सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट पलाईट सार्जन्ट रैक पर नियुक्ति	5 प्रतिशत
ग	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अिंजित करने पर। सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-एवं सी ग्रेड के साथ। ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प ऑल इण्डिया थ्रेसिक लौडरशिप कोर्स नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स बोटर स्कीइंग कोर्स अण्डर ऑफिसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जन्ट रैक पर नियुक्ति	3 प्रतिशत

6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय रूपरूप पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं चौलबलाइम्बिंग में उपत्तिधि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रेस पर्वता सुधी ने वर्णित आईएस एनु ऐप लाम
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	नूरुत्तम उत्तीर्णक प्रतिवाद पर धृष्टि
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में वैसिक कोर्स	3 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए विन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

प्र. सं.	उपलब्धि	प्रेश नोटहाउस मुद्री ने वरीयता निर्माण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता / राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	मूल्यम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतान्त्रिक विचास परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
त	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का रोवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेञ्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

प्र. सं.	उपलब्धि	प्रेश नोटहाउस मुद्री ने वरीयता निर्माण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्भूशी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा ध्यानिता होकर किरी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेञ्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	मूल्यम प्रतीक्षित पर प्रेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेञ्जर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोसाइटी स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेञ्जर अथवा निम्न रोवर/रेञ्जर अथवा स्टेट रोवरसूट/रेजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रैकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता का।	3 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322204

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रधेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संराधन विकास एवं समाज कल्याण भवित्वालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	चूनतम् उत्तीर्णक पाप प्रबंग
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तार विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी सघटक/सम्बन्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में उपर्युक्त संस्था/संस्थान का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

	उपलब्धि	प्रधेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सद्व पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण—पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उत्त्वेषुनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

6.7.9 रामाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

उपलब्धि		प्रवेश योग्यता सूची में वर्णियता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण-पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विशिष्टालयों में स्थित द्वंड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तादान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में हीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

श्रेणी		प्रवेश योग्यता सूची में वर्णियता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोगित सकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यायसाधिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

श्रेणी		प्रवेश योग्यता सूची में वर्णियता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कौलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यायसाधिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322224

- 6.8 नियम सख्त्या 6.7.1 से 6.7.10 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
- 6.9 औन लाइन आदेदन पत्र प्रस्तुत करते रामय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सफास अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रनाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.10 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम ही) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 6.11 उपर्युक्त लाभ में से किसी एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.12 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा सधार्नीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/युप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली कंवल राजकीय निधि मदों की राशि भाफ रहेगी।




Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32222.


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करगीली (राज.)

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया,

सत्र

2020–21


Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karad-411201


प्राचार्य
दीना मीमोरियल पीजी कॉले
करीली (राज.)

ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस (OAP)

- i राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सूचना एवं संचार ग्रीष्मीयकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक भाग प्रधान, द्वितीय व सृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वाह्वा/सत्तराह्वा में ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है।
- ii ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस दिभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध Admission link के द्वारा ऑन लाइन आवेदन फार्म प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया, फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार वेबपोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- iii ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचियां –अन्तरिम/अन्तिम (Provisional/Final) महाविद्यालय के एडमिशन वेबपृष्ठ पर उपलब्ध करवायेगे।
- iv महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी। प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची में से निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहे रहनां की पूर्ति हेतु अन्य वर्णित शर्तों की पालना करते हुए द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची जारी की जायेगी। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण रिक्त रहे रहनां की पूर्ति हेतु तृतीय अन्तरिम प्रवेश सूची तथा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार(100, 200 एवं 300 प्रतिशत) प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। फिर भी स्थान रिक्त रहने पर प्रवेशित विद्यार्थियों की चतुर्थ सूची के साथ प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकेगी।
- v प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को मूल अकालिकाये, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जँच महाविद्यालय में करानी होगी। रात्यापन के बाद ही ई-मित्र काउन्टर पर/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा। (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोडिङ-19 एडवार्ड्जरी वी पालना करते हुए)
- vi प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त राखी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा द्युके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा पुनः लौटा दिया जायेगा।
- vii सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के डाटा बेस ऑन लाइन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्नातक पार्ट द्वितीय, स्नातक पार्ट तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तराह्वा के लिए कॉलेज एडमिशन मॉड्यूल महाविद्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी फीस जमा करवाने के लिए ई-मित्र पर सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।



Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kattur, Mysuru - 570 015

35

प्राचार्य -
वीणा मैमोरियल वीजी कॉलेज
कर्णाळ (राज.)

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2020-21

क्र.सं.	महाविद्यालय	कार्य का विवरण	समयावधि
1	समस्त राजकीय महाविद्यालय	सनातक पाठ्ट छित्रीय, शूलीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	15.06.2020 से 30.06.2020
2	सत्र 2019-20 में खोले गए 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय	सत्र 2019-20 में प्रवेशित सनातक पाठ्ट प्रथम वे विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन प्रवेश गोड़बूत में अद्यतन करना तथा सत्र 2020-21 में सनातक पाठ्ट प्रथम ने प्रवेश के लिए मास्टर एन्ट्रीज पूर्ण करना।	05.06.2020 से 20.06.2020 तक
3	समस्त राजकीय महाविद्यालय	सनातक पाठ्ट छित्रीय, शूलीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में अध्यापन बार्ड आरम्भ।	01.07.2020 (यह तिथि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लागू होगी।)

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) सनातक पाठ्ट प्रथम

क्र.सं	विवरण	तिथि / अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	जैन एवं राजकीय सरकार की ऑफिसियल नोटिफिकेशन-14 की तिथि राज्य सरकार आधुनिकालय स्तर से तिथि बार्ड में जारी हो जाएगी।
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की जानिम दिव्य भारत की तिथि से	15 दिवस
3	समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	
4	प्रथम उत्तरार्द्ध प्रवेश शूलीय एवं अवश्यकतानुसार पत्रिका शूली का प्रकाशन। शूली के अनुस्तिथी के बूल एवं पत्रों का संचालन व सुन्नक जमा करना। प्रवेशित विद्यार्थियों की शूली का प्रकाशन अवश्यकतानुसार हितीय अन्तर्गत प्रवेश शूली/प्रतिक्रिया शूली का प्रकाशन आगे की घटियाएं-	ऑनलाइन प्रैमिया की अवश्यकता का दृष्टि पर रखते हुए अधुनिकालय ग्रहितावाले जारी की जा सकेंगी।
5	संकाय/विषय परिवर्तन तो अतिक्रमिति -	ऑनलाइन प्रदेश शूली से 15 दिवस से
6	महाविद्यालय ने शिक्षण वार्ष प्रस्तुति	पाठ्ट छित्रीय शूली एवं उत्तरार्द्ध के क्लोनल डिजे गम छात्रों की ऑनलाइन क्रमांक 01-07-2020

मानव संतुलन की विधि में प्रवेश नीति के विनु 57 का अनुकार प्रक्रिया लक्षण हो जाएगा।

(ब) स्नातकोत्तर (मुद्रांक)

क्र.सं	विवरण	तिथि / अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	गजस्तान के एग्रह विश्वविद्यालयों के परीक्षा परीक्षणमें छात्रों द्वारा पर आधुनिकालय स्तर पर नियमित रिक्षित तिथि से
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि तो	समादाक विश्वविद्यालय की औरंडओसी (स्वतंत्रता संघर्ष) वर्षिक का परीक्षण नियमित होने के 15 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3	प्रथम उत्तरार्द्ध प्रवेश शूलीय एवं अवश्यकतानुसार पत्रिका शूली का प्रकाशन। शूली के अनुस्तिथी के बूल एवं पत्रों का संचालन व सुन्नक जमा करना। प्रवेशित विद्यार्थियों की शूली का प्रकाशन अवश्यकतानुसार हितीय अन्तर्गत प्रवेश शूली/प्रतीक्रिया शूली का प्रकाशन आगे की घटियाएं-	ऑनलाइन प्रवित्रिका की अवश्यकता का धृतिगत स्तर पर इतिहासिक रूप से तिथियां जारी की जा सकेंगी।
4	विषय संक्षिप्त प्रारम्भ	विद्यार्थियों की शूली का प्रकाशन के अपसे दिन से।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College

Veena Campus Veena Marg, Karad -

36




प्राचार्य
वीना मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फ्रेमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/19/८४-८५

दिनांक: 27 मई, 2019

प्राचार्य,
समरत् राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया अकादमी सत्र 2019-20।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेखा है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया अकादमी सत्र 2019-20 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिसे वेबसाइट से डाउनलोड कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,
प्रदीप कुमार बोरड

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/
उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

४५३७१५)१९
(डॉ० आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kurnool-518241


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)



राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2019-20
(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


Dr. 27/5/19
प्राचार्य
वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग प्रस्तावना एवं उद्देश्य	1-2
	द्वितीय भाग स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	3-7
	तृतीय भाग स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	8-11
	चतुर्थ भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम	12-13
	पंचम भाग सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	14-20
	षष्ठ भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	21-32
2.	राज्य सरकार का परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आदेश दिनांक 10.06.14 एवं 19.06.14	



Coordinator(IQAC)
 Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

ii



प्राचार्य
 वीणा मैमोरियल पीजी कॉल-
 करौली (राज.)

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समायेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्यगत आधार निम्नांकित हैं :-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समरत राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाइन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी ।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ।
3. समायेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
 - (i) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी ।
 - (ii) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.9 व के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके ।
 - (iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।
 - (iv) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं ।
 - (v) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को सम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा ।
 - (vi) अति पिछड़ी अनुसूचित जन जाति सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले में अवस्थित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है ।
 - (vii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत रथान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश का प्रावधान है ।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

- (viii) प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 05 लाख तक है, उन सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक करना जरूरी होगा।
- (ix) समग्र व्यवित्तत्व विकास से सम्बद्ध साहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
- (x) विभिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समान स्तर पर लाने के लिये वरीयता निर्धारणार्थ प्रवेश प्रक्रिया में पर्सन्टाईल आवारित व्यवस्था लागू की गई है।
- (xi) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xii) कौशल विकास हेतु आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित कैट (Certificate Course in Accounting Technicians) कोर्स, इन्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, दिशारी योजना, अंग्रेजी भाषा सुधार हेतु Apps, IIT Bombay द्वारा संचालित Spoken Tutorial की सुविधा भी चयनित महाविद्यालयों में उपलब्ध है।
- (xiii) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
कारौली (राज.)

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पारकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय - 45 वाणिज्य संकाय - 45 विज्ञान संकाय - 48	कला संकाय - 48 वाणिज्य संकाय - 48 विज्ञान संकाय - 50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।


कक्षा 12 की समकक्षता हेतु -

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई. करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगे।


Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

3


प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (गढ़)



- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर एविनेकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

(i). ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के गाध्यग से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।

(ii) उक्त विन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्थीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन—पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला / वाणिज्य	कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय – गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।


2.1.2 कृषि पाद्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जायेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाद्यक्रमों (बोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

2.1.4 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी 12वीं कक्षा की अंकतालिका में श्रेष्ठ पांच विषयों (Best five Subject) के अंकों में प्रवेश हेतु वांछित विषयों के अंक जोड़कर ही प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जायेगी।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241



2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा


- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेवशन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2.2 (i) रनातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास/ऑनर्स कोर्स) में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।
- (ii) समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूर्गभ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्स्टाईल-डाईग एण्ड प्रिंटिंग) की रनातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।
- (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

- 2.3.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन


- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में रथान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के पर्सेन्टाईल इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के पर्सेन्टाईल से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि विन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में रथान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त रथानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।




Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

5



प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)



2.5. पर्सन्टाईल आधारित वरीयता निर्धारण

2.5.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(6)शिक्षा-3/2014/पार्ट दिनांक 10.06.2014 एवं आयुक्तालय के आदेश एफ7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2014-15/85 दिनांक 11.06.2014 की अनुपालना में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रयेश प्राप्तांकों के रथान पर वरीयता निर्धारण के लिए पर्सन्टाईल पद्धति पर आधारित होगा। आदेश क्रमांक एफ 1(6)शिक्षा-3/2014/पार्ट दिनांक 19.06.2014 की अनुपालना में आवश्यक संशोधनों के पश्चात अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत (Score Percentage) पर फलित पर्सन्टाईल के आधार पर वरीयता सूचियाँ प्रकाशित की जायेगी।

2.5.2 अपवाद रचरूप जिन बोर्ड के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं उन बोर्डों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों (जिनकी संख्या अति न्यून होती है) के प्राप्तांक प्रतिशत को निम्न प्रकार से पर्सन्टाईल में परिवर्तित किया जायेगा-

- (i) यदि अभ्यर्थी से संबंधित बोर्ड के किसी भी वर्ष का पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा उपलब्ध नहीं है तो परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष/उपलब्ध निकटतम वर्ष के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा से प्राप्तांक प्रतिशत पर्सन्टाईल में परिवर्तित होगे।
- (ii) यदि अभ्यर्थी ने देश के बाहर के बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसके प्राप्तांक प्रतिशत का पर्सन्टाईल में परिवर्तन भी परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष/उपलब्ध निकटतम वर्ष के CBSE डाटा से होगा।
- (iii) जिन बोर्डों का कुछ वर्षों का पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा उपलब्ध है पर अभ्यर्थी के परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष का डाटा नहीं है तो प्राप्तांक प्रतिशत का पर्सन्टाईल में परिवर्तन उसी बोर्ड के उपलब्ध निकटतम वर्ष के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा से होगा।
- (iv) आई.टी.आई. एवं अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत दोनों परीक्षाओं के समग्र प्राप्तांकों के आधार पर परिकलित होंगे। परिकलित प्राप्तांक प्रतिशत का पर्सन्टाईल में परिवर्तन अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड (RBSE / RSOS) से अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस बोर्ड के अंग्रेजी उत्तीर्ण करने के वर्ष के विज्ञान संकाय के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा से होगा।
- (v) 10वीं कक्षा के बाद पोलीटेक्निक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत पर्सन्टाईल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजरथान के पोलीटेक्निक परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष के विज्ञान संकाय के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा से परिवर्तित होंगे।
- (vi) राजरथान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के समकक्ष माने गये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के प्रिपरेटरी कोर्सेज उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उसी सत्र में उसी संकाय में प्रयेश दिया जायेगा जिस सत्र व संकाय के लिए अभ्यर्थी ने प्रिपरेटरी कोर्स उत्तीर्ण किया है। इन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत का पर्सन्टाईल में रूपान्तरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के संबंधित संकाय/वर्ष के पर्सन्टाईल बैण्ड डाटा से होगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Kerauli-322241

6


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज.)

2.6 समान पर्सन्टाईल होने पर प्राथमिकता कम

2.6.1 यदि किसी कक्षा/चिप्पय में योनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और योनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान पर्सन्टाईल हों तो उनमें योनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.6.2 यदि विन्दु 2.6.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का कम ऊपर होगा।

2.6.3 विन्दु 2.6.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.6.4 विन्दु 2.6.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.7 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321101

7

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉल-
कारीली (राज.)

तृतीय भाग
स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1

प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र. सं.	अन्यथियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजरथान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	रामरत् संकायों के अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एस.सी.	अहंकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय रो अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण- आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजरथान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अन्यर्थी	सभी संकाय	अहंकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम.लंग लिये अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एस.सी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अहंकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से $10 + 2 + (3 \text{ वर्ष } \times 3 \text{ वर्ष } \times 5)$ से अधिक की स्नातक परीक्षा संख्या।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला प्रत्याशियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अन्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 किसी भी अन्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अहंकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अन्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
- 3.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अन्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3 में दी गई शर्त यथावत लागू होंगी।
- 3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में वी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अरथाई प्रवेश दिया जायेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह गत सत्र में वी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karmali-412204

8

प्राचार्य
वीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज०)



3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा :

- 3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुवत्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रथानों पर प्रवेश दिया जायेगा ।
- 3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजरथानी, संस्कृत, उर्दू सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की पी.जी. पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के रथान पर 10 है।
- 3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
- 3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत रथानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संख्या द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

- 3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:-
 - (i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अन्यथा के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समर्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा । भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Vejra Campus, Veena Marg, Kamathipura-560044

(ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :

(अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।

(ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

(i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।

(ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित रथानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

(iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक रथानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।

(iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हैं तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक रामान हो तो वरीयता कम में

(i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
10th Floor, Veena Building, Karanji-322401

10


प्राचार्य
पीणा प्रिमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अन्यथा का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी संकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यूजी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेगें।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

11

प्राचार्य
श्रीजा फैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (गज़ा)

चतुर्थ भाग
विधि संकाय में प्रवेश के नियम

- 4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड
- 4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला/विज्ञान/वाणिज्य/मेधज(मेडीसन)/अग्नियांत्रिकी/नरिंग/पशुचिकित्सा/कृषि अथवा शास्त्री/आचार्य/आयुर्वेदाचार्य/आयुर्वेद वाचस्पति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान बार कौसिल आफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रमाणी नियमों के अनुसार होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होगे।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अन्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि के लिये श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित विषयों/प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे।
- 4.1.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/एम.बी.सी.(चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में उपवर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 4.1.6 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.7 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अन्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की रिति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4.1.8 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।
- 4.1.9 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.1.10 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में अध्याय छ: में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
- 4.1.11 बार कौसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा दुनियादी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32

12


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

- 4.1.12 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 रथान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.13 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपरिधित होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके रथानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एलएल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की रिधति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

नोट: बार कॉसिल ऑफ इण्डिया के नियम मान्य होंगे।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Maw, Kurnool-518241

13

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज०)

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा भिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए वोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- 5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली—गलौच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10 जो विद्यार्थी रेगिस्ट्रेशन गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321241

14

प्राचार्य
वीना मीमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)



होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक यल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ. /सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी रो पिंडाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/पिंडाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

5.3.1 विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रधम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा देता है, तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-

- (i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
- (ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुर्तीर्ण घोषित होते हैं।
- (iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
- (iv) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
- (v) प्रवेश नीति के चतुर्थ भाग के बिन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।
- (vi) उपरिथित की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अहंकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अरथाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।

5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF)वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karnal-1322241

15


प्राचार्य
दीपा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

- 5.4.1. अनुत्तीर्ण स्वयंपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।
- 5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न रिस्ट्रिक्शनों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा—
(i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में राग्मिलित नहीं हुआ हो।
(ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।
(iii) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित किया गया हो।
(iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुर्तीर्ण घोषित किया गया हो।
- 5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

- 5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अधिन कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
- 5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पैपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के रथान पर न्यूनतम उत्तीर्णीक जोड़े जायेंगे।
- 5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निररत माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को साम्यद्वक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7. स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अहंकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण ।	अहंकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होगी ।

5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है । पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा ।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी रिथ्ति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

- (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो ।
- (ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों ।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा ।

5.8.2 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवरिथ्त महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी । माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा ।

5.8.3 रथानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवरिथ्त महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे ।

5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की रिथ्ति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो ।




Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena More, Kharadi, ...

17 वीणा मीमोरियल पीजी कॉलेज
करीती (राज०)



प्राचार्य



5.8.5 स्नातक पार्ट द्वितीय य तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटे) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किरी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, रामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाईज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेंगे तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

5.10 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.12 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।


5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.15 किसी कारणवश योर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की रवयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी. सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विगारीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

5.17 घयनित महाविद्यालयों में यी.कॉग. के साथ कैट (Certificate Course in Accounting Technicians) का आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है, जिसके लिये पृथक से आवेदन महाविद्यालय में करना होगा।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Mare, Karauli-321111



5.18 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में रथाईवास(LTV)चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों / पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संरथानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जायेगी।

5.19 प्रवेश नीति के नियमों में विनी प्रकार का गार्डर्डर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर-रैंजर/वाई.डी.सी. /महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को 5 अगस्त तक उपलब्ध करायी जाये।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/ तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में समय-समय विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.री.	एन.सी.री. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोपर-रेजर	रकाउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. याइ.डी.सी. / नहिला प्रकोष्ठ / उपभोक्ता बलव/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिरा निर्देशानुसार

विशेष निर्देशः—

- i राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय रटाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
- ii राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
 Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322274

20

प्राची
 वीणा मेमोरियल पीजी कॉल-
 करौली (राज.)

षष्ठ भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC)(यिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (यिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी समिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}
- 6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.वी.सी./एम.वी.सी. संबंधी प्रमाण—पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण—पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ—पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()() आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376-409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में समिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अहंकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karmali-313114

21

प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज०)

- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त रथानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञाप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञाप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित रथानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित रथानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के रथान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश कमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में विन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार रथानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)


- 6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिवाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध रथानों में 5 प्रतिशत रथान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षेत्रिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक रथान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 विन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च रथान प्रदान करने के लिए नहीं।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-321141

22


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी एमजी
करौली (राज.)



- 6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पी.एग.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक रथान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य रथान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णीक पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF) कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – <ol style="list-style-type: none"> 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen. 	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF # CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG रोकाओं के लिए शमिल है।

6.5 कश्मीरी विस्थापित व कश्मीरी निवासी

- 6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-225004

23


प्राचार्य
वीणा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)




- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाग देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरी विरथापित अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विरथापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजरथान के मूल निवारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरी निवासियों के लिए दो स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वरीयता अनुसार प्रवेश देय होगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्ययन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सृजित की जा सकेंगी।

6.6 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावे :-

- विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश देय है।
 - इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी। (आयुवतालय आदेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)
- 6.7. अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ क्रमशः स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जायेगा।


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


24 प्राचीर्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

6.7.1 आन्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रदेश योग्यता सूची में वरीयता निर्वाचन हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रदेश
ब	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.)/ आई.पी.एस./ सैनिक स्कूल की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व	6 प्रतिशत
स	(i)भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii)अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii)केन्द्रीय विद्यालय गठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv)सी.बी.एस.ई. की कलस्टर/जौन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
द	(i)राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में	3 प्रतिशत

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

25


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉल-
करौली (राज.)



	प्रतिनिधित्व / जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन के रीजनल/ कलस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
य	(i) राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन की कलस्टर/ जोन/ रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 प्रतिशत

विशेष टिप्पणी :

(अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/ महाविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सकाम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्ररतुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.सी संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
2.	ब से च के (i) से (v)	विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/आयोजन सचिव
3.	द का (i) से (v) एवं य का (i) से (v)	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Village, Karauli-322041

26

प्राचार्य
वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (गढ़ा) -


उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

1.	एथलेटिक्स (क्रॉस कन्फ्री दौड़ सहित)	10.	जिमनारिटिक
2.	जलीय खेल (स्वीमिंग डाइविंग एवं वाटर पोलो)	19.	जूँड़ी
3.	बैडमिंटन	20.	गुपकेवाजी
4.	वास्केटबॉल	21.	गिर्णी गोल्फ
5.	शतरंज	22.	टीरन्दाजी
6.	क्रिकेट	23.	निशानेवाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
7.	साइकिलिंग	24.	सॉफ्टबॉल
8.	फुटबाल	25.	अमेरिकन फुटबॉल
9.	हॉकी	26.	बॉल बैडमिंटन
10.	कबड्डी	27.	नेट बॉल
11.	खो-खो	28.	रोलबॉल
12.	टेबिल टेनिस	29.	रगड़ी
13.	टेनिस	30.	स्कॉर्च रैकिट
14.	वॉलीबॉल	31.	ताइक्वन्डो
15.	हैण्डबाल	32.	बुशू
16.	कुश्ती	33.	योगा
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठुद्ध	34.	पावर लिफिंग
		35.	ब्रिज

6.7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय रूपरेखा पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिविजन/विंग (पांच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर - गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान पेरा जमिंग कोस में स्काई डाउनिंग कोस पूर्ण कर्ता कैडेट एड्युन्यर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोस पूर्ण कर्ता कैडेट सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट वी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6 प्रतिशत
द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। गणतंत्र दिवस कैम्प	


Coordinator (IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karjali-322224


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल एजी कॉलेज
करीली (राज.) 

	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	5 प्रतिशत
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किरी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में री प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में वी प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र वी ग्रेड के साथ	
	रनो-स्कीइंगकोर्स	3 प्रतिशत
	सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट पलाईट रार्जन्ट रैक पर नियुक्ति	
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर।	
	सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	वी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
	जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ।	
	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	
	ऑल इण्डिया वैसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटर रकीइंग कोर्स	
	अण्डर ऑफीसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जन्ट रैक पर नियुक्ति	

6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय रत्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं चॉलवलाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण ढंग देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तोलक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवैचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में वैसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेञ्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेञ्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेञ्जर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेञ्जर अथवा निपुण रोवर/रेञ्जर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेञ्जर शीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण-पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत


Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karnal-322221

30


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉलेज
करीली (राज०)

Scanned by CamScanner

6.7.9 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ ब	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में रोबरता या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित रांकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा रथानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	3 प्रतिशत (एम. बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)

6.7.10 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण-पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

6.8 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.10 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु रवीकार्य नहीं हैं।

6.9 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों और से स्कैन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध रवीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322001

- प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगा। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.10 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा
- 6.11 उपर्युक्त लाभ में से किसी एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.12 प्रवेश शुल्क – छात्रों को लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-३) विभाग के आदेश क्रमांक प.६(३)शिक्षा /युप-३/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समरत छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

32

प्राचार्य
वीणा मैमोरियल वीजी कॉलेज
करौली (राज.)

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया,

सत्र

2019–20


Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

33


प्राचार्य
वीणा मैमोरियल पीजी कॉले
करौली (राज.)

ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस (OAP)

- i राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को राजल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सूचना एवं संचार प्रीद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया देने के उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है।
- ii स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध का ऑन लाइन आवेदन फार्म उच्च शिक्षा वेब-पोर्टल (hte.rajasthan.gov.in) के Admission link पर प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया, फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार इस लिंक पर उपलब्ध होगी।
- iii ऑनलाइन एडमिशन एडमिशन प्रक्रिया के अन्तर्गत रामरत पाठ्यगतानां की समरत प्रवेश सूचियों को महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा वेब-पोर्टल पर अपने महाविद्यालय के एडमिशन वेबपृष्ठ पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- iv महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अंतरिम प्रवेश सूची यरीयता क्रम में जारी की जायेगी। इस सूची के साथ महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जा सकेगी। इस उपरान्त भी स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय द्वारा अन्य अंतरिम प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकेगी।
- v प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को भूल अंक लालिकायें, रथनानामरण प्रमाण-पत्र, घरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जाँच महाविद्यालय में करानी होगी। सत्यापन के बाद ही ई-मित्र काउन्टर पर/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा।
- vi प्रतीक्षा सूची में रथान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा पुनः लौटा दिया जायेगा।
- vii सत्र 2019-20 के लिए विद्यार्थियों के लाटा बेस ऑन लाइन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्नातक पार्ट द्वितीय, स्नातक पार्ट तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए कॉलेज एडमिन में अपग्रेडेशन मॉड्यूल महाविद्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी फीस जमा करवाने के लिए ई-मित्र पर सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena More, Karauli-32224

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2019-20

प्रथम भाग

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक पार्ट प्रथम

संख्या	विवरण	तिथि / अवधि
1	ओन लाइन आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	शनिवार 01.06.19
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि तथा	15 दिसंबर
3	समर्त प्रवेश प्राप्ति पूर्ण करने की तिथि	मुक्तवार 31.07.19
4	प्रथम अन्तर्राम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची की अभ्यर्थियों के मूल प्रगाढ़ पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अन्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार हितीय अन्तर्राम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रतिक्रिया।	ऑफलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता का दृष्टिकोण स्तर पर हुई आयुक्तालय स्तर पर तिथियों जारी की जा सकती।
5	सजाप/विषय घरिवाहन की आतेग तिथि	आतेग प्रवेश मृद्दी से 15 दिन से
6	स्नातकोत्तर में शिक्षण कार्य प्रारम्भ	सोमवार 01.07.19 या प्रथम प्रवेशित मृद्दी प्रकाशन की तिथि के अगले दिन

रखने रखने की स्थिति में प्रवेश भाग के विन्दु 5.9 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जायगी।

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध)

संख्या	विवरण	तिथि / अवधि
1	ओन लाइन आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	बुधवार 26.6.19 अथवा राजस्थान के प्रमुख विद्यालयों के परीक्षा परीणाम घोषित होने पर अनुयातालय स्तर पर निर्धारित तिथि से
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	(i) शुक्रवार 05.07.19 तक या (ii) सम्बद्ध विश्वविद्यालय की अहकारी (लंबित संकाल) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3	प्रथम अन्तर्राम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची की अभ्यर्थियों के मूल प्रगाढ़ पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अन्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार हितीय अन्तर्राम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रतिक्रिये-	ऑफलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता का दृष्टिकोण स्तर पर हुई आयुक्तालय स्तर पर तिथियों जारी की जा सकती।
4	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से।

(स) एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

संख्या	विवरण	पार एवं तिथि
1	स्नातक पार्ट हितीय/सूचीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	सोमवार 01.07.19
2.	स्नातक पार्ट हितीय/सूचीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/एप्स स्टॉडेन्ट द्वारा शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि	आयुक्तालय द्वारा निर्धारित

Government of Rajasthan
Education (Group-3) Department

F. 1 (6) Edu.-I/2014/Pt.

Dated 10-06-2014

Order

Admission to Government colleges/ Universities would be done henceforth in following manner:-

1. To ensure equivalence between different boards / universities percentile system should be followed instead of % of marks awarded from current year (2014-15) admissions.
2. To implement a percentile-based admission decision, details must be obtained from different Boards, preferably in following format:

Board :

Exam : Senior Secondary Examination

Year:

Faculty		Arts		Science		Commerce	
Total No. of students passed		100,000 (say)		80,000 (say)		40,000 (say)	
Sl. No	Percentile	Student - ranks in descending order	Marks obtained	Student - rank in descending order	Marks obtained	Student - ranks in descending order	Marks obtained
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Top 2 percentile (100 to 98) (0-2)	2000 th	90.23% (say)	1600	91.42 (say)	800	88.37 (say)
2	Next 2 percentile (98 to 96) (2-4)	4000 th		3200		1600	
3.	Next 2 percentile (96 to 94) (3-6)						
4.							
5.							
6.							

10/6/14

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
श्रीमा पैमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

करौली (राज.)

Scanned by CamScanner

Note:(1) *2% of total students, who passed the examination.

- (2) For CBSE, it would be of all India total.
- (3) For every year, it has to be a separate data-page, Board-wise / certifying authority-wise.
3. Candidates would be offered admission in descending order of merit as per position percentile as above.
- To illustrate applicants in top 2 percentile would be admitted before anybody for next two percentile (i.e. 98- to 96) are offered and so on.
4. In case number of vacant seats after any 2 percentile band remains limited in number for next percentile band ; it will be decided dividing the band - spread proportionately.

For example:

- (i) Suppose the percentile band position is as under (with total 100,000 students passing in Arts)

<u>Percentile</u>	<u>Student rank</u>	<u>% Marks obtained</u>
86 - to 84	16,000	76.23
84 - to 82	18,000	73.18

(ii) And (a)	Total No. of Seats	100
(b)	Students offered admission (till 84 percentile)	<u>88</u>
	Balance seats	<u>12</u>

And in next 2 percentile band (i.e., 84 to 82) there are 30 applicants.

- (iii) Hence, for the applicants, decision would be arrived at as under:

Calculation:	84 percentile Score	-	76.23
	82 percentile Score	-	<u>73.18</u>
	Difference	-	<u>3.05</u>

Dividing this band in 10 bands - differentials, we get as under:

$$83.8 \quad 76.23\% - \frac{3.05}{10} = 76.195\%$$

hem
10-6-14
Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-32224

Sanjay
गोपा मिमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राजस्थान)
Scanned by CamScanner

$$83.6 - \frac{76.195\% - 3.05}{10} = 75.89\%$$

$$83.4 - \frac{75.89\% - 3.05}{10} = 75.585\%$$

$$83.2 - \frac{75.585\% - 3.05}{10} = 75.28 \text{ and so on}$$

- (iv) Accordingly, between any such single 2 percentile bands proportionate calculation will decide admission.

- (v) In this example, an applicant in 84 to 83.8 percentile has to be awarded priority over the next band that is 83.8 to 83.6 and so on.

5. For Non-Rajasthan Applicants, following should be the procedure:

- (1) Not more than 10% students shall be admitted from institutions outside Rajasthan. Such candidates should have secured a First Division (60%) and should be otherwise eligible.

This is subject to specified exemption to female candidates, and Central Government employees' children, as provided.

- (2) Order of precedence:

- (i) Rajasthan origin students and
Non-Rajasthan

- (ii) Rajasthan origin students - All qualifying

- (iii) Non-Rajasthan students - Below Ist Div.

6. Above orders are in consonance with Sec. 4 A, Sec. 23 A (ii) and Ordinance (O) 81 of Rajasthan University, Jaipur and similar provisions in Acts, Statutes, Ordinances and Regulations of other Universities.

- 7.1 This is necessitated due to distortions prevailing in terms of different scale of marks obtained in 10th and 12th Board Examination. To illustrate; whereas topper in RBSE may score between 90-92%, topper in CBSE often scores close to 100%.

Coordinator(IQAC)
Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Mare, Karauli-322221

प्राचार्य
दीना ऐमोरियल दीनी
कृती (गांज)

- 7.2 This is to ensure justice to students passing out from State and other Boards including (RBSE) compared to Central Board of Secondary Education (CBSE) and Indian Council for Secondary Education (ICSE).

This is issued with the approval of competent authority.

Shyam Agarwal
(Dr. Shyam Agarwal)
ACS, Education

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. PS to Secretary to Hon'ble CM.
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher Education.
4. DS to Chief Secretary, Rajasthan.
5. PS to Additional Chief Secretary, Education.
6. Vice Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.
7. Vice Chancellor, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.
8. Vice Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur.
9. Vice Chancellor, MDS University, Ajmer.
10. Vice Chancellor, MGS University, Bikaner.
11. Vice Chancellor, Kota University, Kota.
12. Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur.
13. Joint Secretary, Education (Gr-4).
14. Dy. Secretary, Higher Education.
15. Guard File.

K.L. Agrawal
(K.L. Agrawal)
Dy. Secretary, Higher Education

COMMISSIONERATE COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR

No. F 7(4)Acad/DCE/Adm.Policy/2014-15/ 85

Dated, 11 June, 2014

Copy to:

1. All Principals, Govt. Colleges, Rajasthan for compliance in fresh Admission in U.G. Part-I for the year 2014-15.
2. Secretaries, All State Secondary Education Board of India with the request to send Information as desired above at their earliest.
3. To the Secretary CBSE, New Delhi, with the request to send Information as desired above at their earliest.
4. All Assistant Directors, Zonal Office College Education, Rajasthan to inform about the order to concerned colleges.
5. Website Incharge, College Education, Rajasthan, Jaipur.

Ranjeet Singh
(Dr. Ranjeet Singh)
Joint Director (Academic)

Veena Memorial PG College
Coordinator(IQAC)
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241

प्राचार्य
वीना मैमोरियल पीजी कॉलेज
वीना कॉलेज

Government of Rajasthan
Education (Group-3) Department

F. 1 (6) Edu.-3/2014/Pt.

Dated 19-06-2014

Corrigendum

In continuation order of even number dated 10-06-2014 the following corrigendum is hereby issued:

3. Candidates would be offered admission in descending order of merit as per position percentile as above.

To illustrate applicants in top 2 percentile would be admitted before anybody for next two percentile (i.e. 98- to 96) are offered and so on.

Formula to calculate percentile of individual nth candidate :

$$PC_n = \frac{(MC_{nBy} - MLP_{By})}{(MUP_{By} - MLP_{By})} \times PW + LPB$$

Where

PC_n = Percentile Score of nth Candidate

MC_{nBy} = Score Percentage of Marks of nth Candidate of Board 'B' in year 'y' (after necessary corrections as per prevalent rules and regulations)

MLP_{By} = Score Percentage of Lower Limit of Percentile Band of Board 'B' in year 'y'

MUP_{By} = Score Percentage of Upper Limit of Percentile Band of Board 'B' in year 'y'

PW = Percentile Width (in present case it is '2')

LPB = Lower Percentile Band (if band is between 98p and 96p, then LPB=96p)

4. (iii) Hence, for the applicants, decision would be arrived at as under:

Calculation:	84 percentile Score	-	76.23
	82 percentile Score	-	73.18
	Difference	-	3.05

Dividing this band in 10 bands - differentials, we get as under:

$$83.8 \quad 76.23\% - 3.05 \quad = 75.925\% \quad \text{Date} \quad 19.6.14$$

11

Coordinator(IQAC)

Veena Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्रांचार्य
वीणा प्रिमोरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)

83.6	$75.925\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.62%
83.4	$75.62\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.315%
83.2	$75.315\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.01 and so on

- 7.3 This will also help in addressing issues of inter-temporal (between different years) distortion even within same Board. Hence the details (as per point 2) in order dated 10.6.2014, must be prepared separately Board wise and year wise.


Note : It is clarified that above order will be applicable for admission for session 2014-15 and henceforth to all Government & Private Colleges/ Universities with immediate effect.

This is issued with the approval of competent authority.


(Dr. Shyam Agarwal)
ACS, Education

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. PS to Secretary to Hon'ble CM.
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher Education.
4. DS to Chief Secretary, Rajasthan.
5. PS to Additional Chief Secretary, Education.
6. Vice Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.
7. Vice Chancellor, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.
8. Vice Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur.
9. Vice Chancellor, MDS University, Ajmer.
10. Vice Chancellor, MGS University, Bikaner.
11. Vice Chancellor, Kota University, Kota.
12. President, All Private Universities in Rajasthan, along with a copy of order dated 10.06.2014.
13. Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur.
14. Joint Secretary, Education (Gr-4).
15. Dy. Secretary, Higher Education.
16. Principal, All Private Colleges in Rajasthan, along with a copy of order dated 10.06.2014.
17. Guard File.


(K.L. Agrawal)
Dy. Secretary, Higher Education

2 | Page

COMMISSIONERATE COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR
No.F 7(4)Acad/Dce/Adm.policy/2014-15/ ७८ Dated २० June, 2014


Copy to:-

1. All Principals, Govt./Private Colleges, Rajasthan for compliance in fresh admission in U.G. Part-I for the year 2014-15.
2. All Assistant Directors, Zonal Office, College Education, Rajasthan to inform about the order to concerned colleges.
3. Website Incharge, College Education, Rajasthan, Jaipur.


Joint Director
College Education, Rajasthan


Coordinator (IQAC)

Veeha Memorial PG College
Veena Campus, Veena Marg, Karauli-322241


प्राचायन
गीणा मीमरियल पीजी कॉलेज
करौली (राज.)